नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP 2020
क्या कहती है,
वास्तविकता क्या है

ऑल इंडिया सेव एडुकेशन कमिटी
(AISEC)

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020
क्या कहती है, वास्तविकता क्या है

प्रकाशन : 1 अगस्त 2022

प्रकाशक :
ऑल इंडिया सेव एडुकेशन कमिटी
88 बी, बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट
कोलकाता - 700012

मुद्रकः
गणदाबी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
52बी, इंडियन मिरर स्ट्रीट
कोलकाता - 700013

मूल्यः रु 20/-

प्रकाशक की ओर से

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) और उससे पहले उसके ड्राफ्ट के आने के बाद से ही देशभर में इसके खिलाफ प्रतिवाद हो रहे हैं। इस नीति और इसे जल्दबाजी में लागू करने के विरुद्ध ऑल इंडिया सेव एडुकेशन कमिटी ने जगह-जगह कई आन्दोलन संगठित किया है। इन आन्दोलनों को हर स्तर के लोगों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। इन आन्दोलनों को और अधिक गति व ताकत देने के लिए ऑल इंडिया सेव एडुकेशन कमिटी ने अपनी इन महत्वपूर्ण विचारों को पेश किया है।

1 अगस्त 2022

पी.एन.शाह — अध्यक्ष

ए.के.रे — महासचिव

विषय सूची

भाग 1	स्कूली शिक्षा	5
भाग 2	उच्च शिक्षा	21
भाग 3	मेडिकल और हेल्थ केयर के संबंध में	34
भाग 4	कार्यान्वयन	35
	निष्कर्ष	39

भाग - 1

स्कूली शिक्षा

पढ़ने पढ़ाने का संकट

एनईपी 2020 भाग 2.1 (पृष्ठ 8): "छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन-भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्वशर्त भी है। हालांकि, विभिन्न सरकारी, साथ ही गैर-सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।"

एनईपी 2020 भाग 2.7 (पृष्ठ 9): "... साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। ...स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वोलेंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जायगा।"

वास्तविकता: शिक्षा की दयनीय स्थिति के लिए घड़ियाली आंसू बहाना और इसमें सुधार के वायदे करना सभी शिक्षा नीतियों की पंरपरा सी बन गयी है। लेकिन अंततः ये सभी खोखले वायदे साबित होते रहे हैं। जैसे 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' का नारा 1986 की नयी शिक्षा नीति में बड़े जोर-शोर से बुलंद किया गया। लेकिन इसके लागू होने के 35 साल बाद भी कुछ ठोस परिणाम सामने नहीं आए। बल्कि इसने शिक्षा के निजीकरण व्यपारीकरण का द्वार खोल दिया और सरकार ने स्कूली स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सरकारी व सहायता प्राप्त (एडेड) शिक्षा संस्थाओं में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जर्जर इमारतें, आधारभूत सुविधाओं की नितांत कमी, शिक्षण-अधिगम स्तर पर निगरानी का अभाव जैसी समस्याओं से अभी भी ग्रस्त है! सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक हैं। यहाँ तक कि मौजूदा शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों के अलावा गैर-शैक्षणिक कार्य करने को भी बाध्य किया जाता हैं। इन सब कड़वी सच्चाईयों से आंख मूंदकर एनईपी 2020 फिर से लर्निंग क्राइसिस (सीखने का संकट), 'बुनियादी साक्षरता और गणित' का नारा लगा रही है।

लेकिन विडंबना यह है कि एक तरफ सरसरी टिप्पणी की गई है कि अध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से की जाएगी। दूसरी सिफारिश के तहत शिक्षा के परिदृश्य को तेजी से बदलने के लिए छात्रों द्वारा छात्रों को पढ़ाने और सामुदायिक स्वयंसेवकों की सेवाओं को लेने को रामबाण बताया जा रहा है।

इस व्यवस्था के द्वारा सरकार टीचर्स की नियुक्ति करने, छात्रों के सीखने के परिणामों को जांचने की जिम्मेदारी से अपने को मुक्त करना चाहती है। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों का चयन करना सत्तासीन ताकतों का हित साधने के लिए कटिबद्ध होगा! संक्षेप में एनईपी **2020** उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु ईमानदार नहीं है, बल्कि यह खुद ही किसी और रास्ते जा रही है। कैसे? देखिए और समझिए --

शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम और pedagogy (शिक्षा शास्त्र)

एनईपी 2020 (पृष्ठ 11) सेक्शन 4.1: "स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3-8, 8-11 11-14 और 14&18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी"

सेक्शन 1.2 (पृष्ठ 7): "ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है।"

सेक्शन 1.7 (पृष्ठ 8): "ईसीसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/शिक्षक को ईसीसीई में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराया जाएगा, और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा।"

वास्तविकता: एनईपी **2020** स्कूली शिक्षा के ढांचे में पूर्णतः बदलाव का सुझाव देती है। मौजूदा 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का नया ढांचा लागू किया जाएगा। औपचारिक पढना-पढ़ाना ३ साल की आयु से अनिवार्यतः प्रारम्भ होगा। यह व्यवस्था शिक्षा पर खर्च को शुरु से लेकर अंत तक बढ़ा देगी। गरीब छात्रों पर यह अतिरिक्त भार डालेगी, जो इस खर्च को वहन करने में असमर्थ होंगे और पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर होंगे।

विध्वंसकारी ईसीसीई

3 से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चे पांच साल तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) प्रणाली में शामिल होंगे। इस योजना के तहत अनिवार्यतः पहले तीन वर्ष की प्री-स्कूल शिक्षा खेल आधारित व खोज आधारित शिक्षा पद्धति से होगी, जिसमें, सुनियोजित-सुव्यवस्थित उपकरणों व तकनीक से लैस प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी! स्पष्टतः यह विशेषज्ञता-पूर्ण, तकनीकी-आधारित और मंहगी भी होगी। अगर इसे

अनिवार्य किया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे जिसके चलते न केवल गरीब वर्ग बल्कि मध्यम वर्ग पर भी अतिरिक्त व्यय का भार बढ़ेगा और बच्चों पर अनचाहा मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। वर्तमान प्राईवेट व्यवसायिक प्राथमिक विद्यालयों और नर्सरी-केजी में गला काट प्रतियोगिता इसके गवाह हैं। इसके अलावा यह नयी शिक्षा नीति बड़ी संख्या में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में यह जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंप रही है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से ही अतिरिक्त कार्यभार तले दबी हुई हैं, कम शिक्षित-प्रशिक्षित हैं, नाममात्र के वेतन पर कार्यरत हैं। गरीब घरों की ये कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं तथा बेहद खराब परिस्थितियों में जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत हैं। इन आंगनबाड़ी वर्कर्स को साधारण सी छः महीने या एक साल की आनलाइन ट्रेनिंग देने से कुछ भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके परिणाम विनाशक होंगे। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षणिक बुनियाद बर्बाद हो जाएगी। बल्कि ये किंडरगार्डन और बालवाटिकाएं आदि समृद्ध परिवारों के लिए ईसीसीई की सेवाएं प्रदान करेगी जो कि विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों का वर्ग तैयार करेगी। अंत में, ईसीसीई 2018 में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित स्टार्स नामक प्रोजेक्ट का गंभीर एजेंडा था, जो शिक्षा में सुधारों के नाम पर लाया गया था। इसमें अनुमानित किया गया कि ईसीसीई में एक अमेरिकी डालर का इंवेस्टमेंट 25 अमेरिकी डालर का मुनाफा दे सकता है। इस प्रकार यह देसी-विदेशी कारपोरेट को एक वरदान के अलावा कुछ भी नहीं है जो शिक्षा में निजीकरण की गति को बढ़ावा देगा।

सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत शिक्षण-प्रक्रिया और एनईपी 2020

यह शिक्षा-शास्त्र में एक सर्वमान्य तथ्य है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए ६ साल की आयु से ही अक्षर-ज्ञान, भाषा और गणित सीखने के लिए स्कूल भेजा जाना चाहिए। एनईपी 2020 इसे घटाकर तीन वर्ष पर ले आई है।

आगे इसमें कहा गया है कि प्रीपेट्री स्टेज (क्लासेज/ग्रेड 3, 4, 5 यानी 8—11 वर्ष की आयु को कवर करती है) भी कुछ हल्की पाठ्य पुस्तकों के साथ खेल आधारित शिक्षा होगी। इसका अर्थ हुआ कि पांचवीं तक के छात्र बिना पुस्तकों के पढ़ेंगे या हल्की फुल्की पाठ्यपुस्तकों के साथ पढ़ेंगे । ये अध्यापन परिवर्तन विश्व बैंक प्रायोजित और भारत व पूरे विश्व में असफल हो चुके डीपीईपी (डिस्ट्रिक्ट प्राईमरी एजुकेशन प्रोग्राम) का हिस्सा रहा है। इससे केवल शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता में गिरावट ही आई है। बल्कि इसके बदले शिक्षा में प्रांरभ से ही पाठ्यपुस्तकों व विषयों से बच्चों को उचित तरीके से परिचित कराया जाना चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में बुनियादी विषयों का ज्ञान जैसे कि:

(1) मातृभाषा व अंग्रेजी में भाषा ज्ञान व साहित्य (2) इतिहास (3) भूगोल (भौतिक भूगोल की अवधारणा पर विशेष महत्व देते हुए) (4) सामान्य विज्ञान (विज्ञान का

ऐतिहासिक विकास और महान वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र के साथ) (5) गणित (अंकगणित और रेखा गणित को विशेष महत्व देते हुए), प्रत्येक कक्षा/सेक्शन में शिक्षक-छात्र का अनुपात 1:30 के साथ।

अब जरा सोचिए, बिना पाठ्यपुस्तकों के वर्चुअल रूप में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों को पार करना और इस स्टेज पर अपेक्षा करना कि छात्र उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पूरी तरह तैयार होंगे जहाँ ज्ञान और ज्ञान संबंधी प्रक्रिया के सामान्य आधार इतने निर्णायक आकार ले लेंगे कि वे आगे चलकर विभिन्न विविधतापूर्ण स्तरों में से आसानी से चुनाव कर सकेंगे। क्या यह प्रस्ताव हास्यास्पद नहीं है ? या फिर सरासर विनाशकारी और घटिया है?

सेकेंडरी और सीनीयर सेकेंडरी स्तरों को एक साथ लादना

एनईपी 2020 सेक्शन 4.9 (पृष्ठ 13): "विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता होगी। 'पाठ्यक्रम', 'अतिरिक्त पाठ्यक्रम' या 'सह-पाठ्यक्रम', 'कला', 'मानविकी' और 'विज्ञान' अथवा 'व्यावसायिक' या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी।"

एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन के प्रयास में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तरों को हाई स्कूल स्तर पर लाद रही है (9, 10, 11, 12) पाठ्येतर व पाठसहयोगी सभी क्रिया कलाप एक साथ! जैसा कि एनईपी में पहले कहा गया है कि पांचवी कक्षा तक कोई पाठ्यपुस्तक नहीं होगी, लेकिन आठवीं के बाद छात्रों पर 24 विषयों के साथ 40 वैकल्पिक विषयों के साथ अतिरिक्त भार लाद दिया जाएगा। यह न केवल अवैज्ञानिक और तर्कहीन है, बल्कि यह बहुत दबावपूर्ण है और यह छात्रों और शिक्षकों पर भंयकर प्रकार का मानसिक तनाव डालेगा। अधिकतर सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे व शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा बदहाल है। इसे और बढ़ाते हुए 'बहुविषयक संपूर्ण शिक्षा' का विचार एक काल्पनिक अवधारणा है जो दरअसल अराजकता की स्थिति ला देगी। इसमें एक फिजिक्स पढ़ने वाला छात्र फैशन डिजाइन का भी संयोजन कर सकता है अगर वह पढ़ना चाहे तो। क्या इस प्रकार का संयोजन फिजिक्स या फैशन डिजाइन दोनों ही विषयों के व्यापक ज्ञान के विरुद्ध नहीं? एक 14–15 साल के लड़के या लड़की से क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपने लिए विषय चुनने की परिपक्वता रखती है? जहां मोलिक्यूलर बायलोजी और जियो फिजिक्स जैसे इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञानों का विकास विज्ञान की उन्नति के साथ ही हुआ है। एनईपी 2020 में बहुविषयक दृष्टिकोण पूर्णतः अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है!

ध्यान देने योग्य दूसरा बिंदु है कि एक अलग स्तर के रूप में सेकेडंरी स्तर को खत्म करना, और सेकेडंरी स्तर की परीक्षा को खत्म करने से एक बहुत बड़ी संख्या में जरूरतमंद छात्र जो सेकेडंरी स्तर के स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेते थे, अब वे उस अवसर से वंचित रह जाएंगे और अब उनके स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाएगी।

ड्रापआउट बच्चों की समस्या

एनईपी 2020 सेक्शन 3.1 (पृष्ठ 10): "सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है ... कक्षा छठी से आठवीं का जीईआर 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा, 9–10 और 11–12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.3 और 56.5 प्रतिशत है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017–18 में एनएसएसओ के 75वें राउंड हाऊसहोल्ड सर्वे के अनुसार, 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।"

सेक्शन 3.2 (पृष्ठ 10): "कुल मिलाकर दो पहल की जाएँगी ... । पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है ... । प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में आधारभूत संरचना की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँगे।"

वास्तविकता: कोई ठोस उपाय सुनिश्चित नहीं किया गया है। यद्यपि सत्ता में आने वाली उत्तरोत्तर सरकारों ने शत प्रतिशत दाखिले के वायदे के साथ सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून जैसे प्रयासों के बावजूद भी ड्रापआउट का मसला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। एनईपी 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा अधिकार कानून के बावजूद भी 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि 2030 तक 100 प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य रखा गया है। इन बच्चों की वास्तविक संख्या 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। कोविड-19 और थोपे गए सरकारी लॉकडाउन ने इस संख्या को कई

गुणा बढ़ा दिया है।

बच्चों को स्कूल से बाहर रखने में गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, इस तथ्य को स्वीकारे बिना, केवल 'किया जाएगा', या ऐसे ही और जुमलों से समस्या का समाधान संभव है क्या? प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कार्य में लगा देने से क्या समस्या का समाधान संभव है? क्या ये कार्यकर्ता इन बच्चों को अपने गरीब परिवारों की मदद करने से रोक पाएंगे? क्या वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा केन्द्र, या मुक्त विद्यालय जैसे अनौपचारिक शिक्षा मॉडल, गरीब और उपेक्षित परिवारों के बच्चों के लिए सार्वभौमिक और उत्तम शिक्षा की प्रतिबद्धता के प्रति सरकार का एक धोखा नहीं है? इसके साथ ही जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्कूलिंग की अवधि को बढ़ाना, महंगी ईसीसीई शिक्षा, सेकेडंरी और सीनीयर सेकेडंरी स्तरों को समेकित करना, सेकेडंरीस्तर की परीक्षा को समाप्त करना, आग में घी का काम करेगा। और फिर कुख्यात बेरोकटोक पास करने की नीति ड्राप-आउट की संख्या में वृद्धि करेगी जिसे नीचे विस्तार से बताया गया है।

परीक्षाएं सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं

कक्षा 3,5,8 में परीक्षा

एनईपी-2020 सेक्शन 4.40 (पृष्ठ 18): "सभी विद्यालय-वर्षों के दौरान, न कि केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में प्रगति को ट्रैक करने के लिए ... सभी विद्यार्थियों को, एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी।"

वास्तविकता: लगता है सरकार को शिक्षकों, अभिभावकों यहाँ तक कि छात्रों के दबाव के चलते कुख्यात बेरोकटोक पास करने की नीति को वापस लेना चाहिए और पास-फेल प्रणाली को कक्षा 1 से बोर्ड परीक्षा के अन्त ग्रेड 10 और 12 तक लागू करना चाहिए। लेकिन एनईपी 2020 में बजाय 'नो डिटेन्शन पालिसी' जिसने पहले ही छात्रों में गंभीरता से पढ़ने की इच्छा और शिक्षकों में पढ़ने की इच्छा न रखने वाले छात्रों को पढ़ाने के प्रयासों को समाप्त कर दिया उसे वापस लेने के परीक्षा को 3,5,8 लागू कर रही है। इस का अर्थ हुआ कि कक्षा 1, 2, 4, 6 और 7 में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस प्रकार नो डिटेन्शन पालिसी को जारी रखते हुए इस उपाय से किस परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं? अभागे बच्चे नो डिटेन्शन पालिसी से प्रसन्न रहेंगे और 3, 5, 8 तीन स्तरों पर रुकावटें झेलेंगे। क्या वो सामान्य रूप से इन्हें पास करने में सफल होंगे? यदि नहीं तो क्या होगा? वे छात्र जो बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब और उपेक्षित आबादी की श्रेणी के परिवारों से आते हैं, ड्राप-आउट हो जाएंगे। एनईपी-2020 जो ड्राप आउट रेट घटाने की कसमें खाती है, इस उपाय के द्वारा ड्राप-आउट घटाने के बजाय छात्रों के एक बड़े हिस्से को स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बाहर कर देगी।

परीक्षाएं और मूल्यांकन

एनईपी-2020 सेक्शन 4.38 (पृष्ठ 18): "वार्षिक/सेमेस्टर/मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली विकसित की जा सकती है जिसमे काफी कम सामग्री से ही प्रत्येक टेस्ट लिया जाए और स्कूल में संबंधित कोर्स के तुरंत बाद इसे लिया जाए ताकि माध्यमिक स्कूल स्तर पर परीक्षा का दबाव बेहतर ढंग से वितरित हो, कम दबाव हो, और प्रत्येक परीक्षा पर बहुत कुछ दांव पर न लगा हो, गणित से शुरू करके सभी विषय और संबंधित आकलन दो स्तरों पर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं - एक कक्षा के स्तर पर और कुछ उच्चतर स्तर पर और कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को दो भागों में तैयार किया जा सकता है एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे।"

वास्तविकता: एनईपी-2020 के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम माध्यमिक स्तर पर शुरू किया जाएगा। चार वर्षीय सेमेस्टर सिस्टम के दौरान परीक्षा दर परीक्षा होंगी, ऐसे में छात्र कब पढ़ेंगे और कब शिक्षक पढ़ाऐंगे? स्कूल परीक्षा और कक्षाओं के सिस्टम को कैसे नियोजित कर पाएंगे? सामान्यत: बच्चे अपनी सुकुमार अवस्था में पहले सैमेस्टर में सीखे विषयों को भूलने के आदि होते हैं। इस प्रकार छितराए हुए, सीमित, खंडित ज्ञान के साथ वे विशेष कर इस नाजुक उम्र में क्या हासिल कर पाएंगे? इसमें कहाँ से गुणवत्ता प्राप्त की जा सकेगी? वर्तमान सत्रांत परीक्षा में कम से कम पूरे पाठ्यक्रम को दोहराने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा एन ई पी 2020 और आत्मविरोधाभासी है। एक ओर यह बोर्ड परीक्षाओं के भार व खर्चीली कोचिंग शिक्षा के भार को कम करने की बात करती है पर दूसरी ओर अनेकों परीक्षाओं पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम को लागू करना चाहती हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित उत्तम क्वालिटी के कामन एप्टीट्यूड टेस्ट का गुणगान करती है। उपरोक्त ऊंचे स्तर की NEET और JEE जैसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा है जो छात्रों पर बहुत दबाव डालेगी, साथ ही अभिभावकों पर वितीय भार भी डालेगी यहाँ तक कि छात्रों को आत्महत्या की ओर ले जाएगी और कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर संस्कृति को बढ़ावा देगी। जैसा कि पहले उल्लेखित है, कक्षा 10 तक सामान्य पाठ्यक्रम समान मानक के साथ रहना चाहिए। इसके विपरीत गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय को दो स्तरों - सामान्य स्तर और उच्च स्तर के रूप में स्कूली शिक्षा में लागू करना केवल छात्रों के बीच भेदभाव को ही बढ़ावा देगा।

शिक्षा का उद्देश्य और कौशल विकास: व्यवसायिक शिक्षा

एन ई पी 2020 सेक्शन 4.4 (पृष्ठ 12): "शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक समझदारी हासिल करना है बल्कि चरित्र निर्माण और इक्कीसवी

शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है।''

एन ई पी 2020 सेक्शन 4.9 (पृष्ठ 13): ''विज्ञान, ह्यूमैनिटिज और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला, हस्तशिल्प और वोकेशनल कौशल को भी स्कूली पाठयक्रम में शामिल किया जाएगा।''

एन ई पी 2020 सेक्शन 4.26 (पृष्ठ 16): ''प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण, आदि का एक जायजा देगा।''

वास्तविक स्थितिः उपरोक्त आडंबरपूर्ण शब्दों की आड़ में जो नारे उछाले गये हैं और जो वास्तव में छात्रों को '21 वीं सदी के कौशलों से सुसज्जित करने' की बात करते हैं तथा 'पाठ्यक्रम', 'पाठ्येतर', 'पाठ्यसहयोगी', कला, मानविकी, विज्ञान, व्यवसायिक और अकादमिक स्ट्रीम में कठोर विभाजन को समाप्त करने की बात करते हैं - इस प्रकार एन ई पी 2020 आरंभ से ही औपचारिक स्कूली शिक्षा की नींव को बर्बाद करना चाहती है। एक ऐसी नींव जिसका उद्देश्य भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम आधार तैयार करना हो, विज्ञान में आधारभूत और मौलिक ज्ञान, साथ ही गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में, जो कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। इसकी बजाय यह नीति छठी कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा लागू कर रही है। असल में कुछ कौशल विकसित करने के नाम पर या व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यवसायिक शिक्षा को अकादमिक स्ट्रीम में लागू करना शिक्षा का मुख्य आधार - ''शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है'', के विरुद्ध है। हमें महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने कहा था, ''किसी व्यक्ति को विशेषता सिखाना ही काफी नहीं है, इससे यद्यपि वह एक उपयोगी मशीन तो बन सकता है परन्तु एक सामन्जस्यपूर्ण व्यक्तित्व नहीं। यह जरूरी है कि छात्र जीवन मूल्यों के प्रति संवेदना और समझदारी हासिल करें। उसे सुन्दर नैतिक मूल्यों के प्रति सजग चेतना हासिल करनी चाहिए, वरना वह अपने विशेष ज्ञान के साथ एक संवेदनशील विकसित मानव की बजाय प्रशिक्षित कुत्ते के समान ही हो जाता है। प्रतियोगी सिस्टम पर अत्यधिक जोर, त्वरित उपयोगी कौशल प्राप्त करने के आधार पर अपरिपक्व विशेषज्ञता, उस भावना को ही खत्म कर देती है जिस पर सभी सांस्कृतिक जीवन और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान निर्भर करता है।'' (एजुकेशन विथ इंडिपेंडेंट थॉट 1952)। व्यवसायिक शिक्षा किसी एंप्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। वास्तव में रोजगार, अल्प रोजगार, और बेरोजगारी आदि सभी मुद्दे सीधे-सीधे देश की आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए हैं। हजारों टैक्नीकली ट्रेंड आईटीआई और

डिप्लोमाधारी नौकरी की तलाश में दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, फारमैसिस्ट, और नर्सें आदि बेरोजगार हो रहे हैं, और उनमें से सैंकड़ों अल्प रोजगार की स्थिति में हैं या ऐसे कार्य करने को मजबूर हैं जो उनके विषय से जुड़े हुए नहीं हैं। बेरोजगारी का असली कारण शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था में है, छठी कक्षा से पी जी तक शिक्षा का व्यवसायीकरण किस प्रकार नौकरी की गारंटी कैसे करेगा? असलियत में हमारे बच्चों के पास न ज्ञान होगा और न ही नौकरी!

एक बार फिर यह ऐसा मुद्दा है जिस पर विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित स्टार्स प्रोजेक्ट, सरकार और औद्योगिक घराने सभी एकमत हैं। जैसा कि 1986 में आई एन पी ई के बाद, अंबानी -बिरला रिपोर्ट में प्रस्ताव था 'स्टार्स' अब भारत के सस्ते और विस्तृत मानव संसाधान का लाभ उठाते हुए विश्व बाजार में पैदावार का लाभ कमाना चाहता है। बाजार आधारित शिक्षा स्वभाविक रूप से उद्योग तय करेंगें, अकादमी नहीं कि, क्या पढ़ाया जाना है। यह टीचर्स को भी स्वयं को मार्केट के अनुसार अपडेट करने को मजबूर करेगा। करीकुलम फ्रेमवर्क और पाठ्यपुस्तक लेखनः पूर्णतः केन्द्रीय नियन्त्रण में भगवा करण का एजेंडा है।

एनईपी 2020 सेक्शन 4.30 (पृष्ठ 17): ''स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020–21 . .. । एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा।''

सेक्शन 4.32 (पृष्ठ 17): ''यह उद्देश्य एससीईआरटी के संयोजन में एनसीईआरटी द्वारा विकसित उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम (जो जहाँ तक संभव हो) . . . एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा।''

वास्तविकताः यद्यपि ''सभी हितधारकों से विचार विमर्श'' करके करिकुलर फ्रेमवर्क तैयार करने का एन ई पी 2020 में दावा किया गया है! सच्चाई बिलकुल भिन्न है। करिकुलम-फ्रेमवर्क व पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन की जिम्मेदारी उच्चतम मापदंड रखने वाले अपने अपने क्षेत्रों में निपुण विशेषज्ञों को सौंपने की बजाय एनसीईआरटी और यूजीसी जैसी संस्थाओं ने सत्तारूढ दल के आदेशानुसार, एकतरफा रूप से सांप्रदायिक व जातीय आधार प्रकट करते हुए ले ली है। हाल ही में, सौ से ज्यादा देश-विदेश के इतिहासकारों ने एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकों में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में ''संसद की शिक्षा पर स्थायी समिति'' को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन, मौजूदा ऐतिहासिक विद्वानों के साथ व सहयोग से विद्वत योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकों में संशोधन की प्रक्रिया कभी भी किसी विचारधारा विशेष को संतुष्ट करने के लिए

नहीं की जानी चाहिए। पिछले दिनों यूजीसी द्वारा इतिहास विषय के नये करिकुलम फ्रेमवर्क स्नातक के पाठयक्रम के विरुद्ध बड़ी संख्या में आलोचना हुई है। इसमें कुछेक धर्माधारित चुनिंदा वर्णात्मक भूल-चूक ही शामिल नहीं है, बल्कि धृष्टतापूर्वक भारतीय इतिहास को विकृत किया गया है। असल में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने नये करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने में भाग नहीं लिया। वास्तव में प्रमुख इतिहासकारों ने इसे 'नो हिस्ट्री', 'बुरी पौराणिक कथा' कहा है। यहाँ तक कि भाजपा शासित राज्यों में निर्धारित पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण यानि सांप्रदायीकरण किया जा रहा है, बच्चों को ऐतिहासिक तथ्य पढ़ाने के नाम पर, विज्ञान, भूगोल, धर्म व अन्य 'मूल बातें', जो एक ऐसे विचार और दृष्टिकोण के लिए जिसे भारतीय कहा जा रहा है, प्रचारित की जा रही है। और यह भारतीयकरण समधर्मी व धर्म के साथ घनिष्ठता से जुड़ा है। यहाँ तक लिखा गया है कि 'धर्म के लिए कुर्बानी देना उत्तम है।' एक विदेशी धर्म दुख का कारण है। स्पष्ट रूप से यह हिन्दूत्व समर्थकों का हो-हल्ला है। एन ई पी 2020 'पब्लिक-फिलांथ्रोपिक-पार्टनरशिप' से तैयार अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तक सामग्री का सुझाव दे रही है। इस सामग्री का मूल तत्व क्या होगा? 'पब्लिक-फिलांथ्रोपिक-पार्टनरशिप' किससे होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना मुश्किल नहीं है।

यद्यपि एन ई पी 2020 कहती है कि इसके संयोजन में एससीईआरटी के साथ मिलकर एनसीईआरटी द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है... । राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करेंगे जिसमें स्थानीय तथ्यों और सामग्रियों को जरूरत के अनुसार शामिल किया जाएगा। यहाँ अंत में कहा गया है कि ''एनसीईआरटी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा'' - यहाँ उद्देश्य स्पष्ट है। आजकल एससीईआरटी का काम केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने तक सीमित हो गया है, पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करने की एक पूर्णतः केन्द्रीकृत व्यवस्था निकट भविष्य में बनाने की योजना है। यहाँ तक कि टर्म परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी इन दिनों दिल्ली से आनलाइन स्कूलों को भेजे जाते हैं।

भाषा फार्मूलाः एनईपी 2020 देश को अंधकार की ओर धकेलती है

एनईपी 2020 सेक्शन 4.13 (पृष्ठ 14): ''त्रिभाषा फार्मूला को भी इसमें लागू करना जारी रहेगा ...। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी ... जिनमें से दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों।''

एनईपी 2020 सेक्शन 4.17 (पृष्ठ 14): ''... भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, उनकी प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता, संस्कृत जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची

में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य . . . इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ, स्कूल और उचच्वतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।"

वास्तविकताः यदि एनईपी 2020, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण का उद्देश्य भगवाकरण है तो इसमें भाषा नीति भी उसी के अनुरूप भूमिका अदा करने वाली है। सालों से इस विषय पर एक बहस इस प्रश्न पर चल रही है कि: एक बहुभाषीय भारत जैसे देश में, वैज्ञानिक रूप से परिभाषित भाषा नीति कौन सी हो, जिससे किसी भी भाषा को दूसरों पर थोपने की नीति से बचा जा सके? इस का उत्तर है द्विभाषीय फॉर्मूला, वह है- मातृ भाषा जो संविधान की आठवीं अनुसूची में से एक हो, और दूसरी अंग्रेजी।यह भी समझना चाहिए कि अंग्रेजी संवैधानिक रूप से भारतीय भाषाओं की लिस्ट में शामिल की गयी है क्योंकि यह भारत की स्थायी लोगों की जनसंख्या द्वारा बोली जाती है ।मातृभाषा कम से कम स्कूली स्तर पर शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए साथ ही एक भाषा के रूप में कम से कम पांचवी कक्षा से पढ़ाया जाना चाहिए और अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पहली कक्षा से पढाई जानी चाहिए। शिक्षा शास्त्र के सभी शोध इस बात पर जोर देते हैं कि छात्र अपनी मातृभाषा में आसानी से ज्ञान प्राप्त करते हैं और और अपने स्वयं को आसानी से सरलता पूर्वक व निश्चित रूप से क्षमता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं अगर वो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसी और माध्यम से सीखना उन्हें विषय-वस्तु को समझने की बजाय रटने पर ध्यान केंद्रित करवाता है। ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजी भाषा हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है, यह हमारे लिए विश्व ज्ञान को जानने का एक झरोखा है और यह भारत के अंदर व बाहर एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। अंग्रेजी के महत्व को कम करने का कोई भी प्रयास हिन्दी के लिए रास्ता बना कर उसे अंदर घुसाना है। यह आगे मातृभाषा के विकास को भी बाधित करेगा। अवश्य ही यह द्विभाषी फॉर्मूला, छात्रों को अपनी पसंद की किसी भी अन्य भारतीय या विदेशी भाषा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सीखने से नहीं रोकेगा। एआइएसईसी संस्कृत के विषय में निम्नलिखित विचार रखती है।

किसी भी भाषा को सीखने का मानदंड है:

(1) यह न केवल बोली जाने वाली जीवंत भाषा हो बल्कि समाज की एक बड़ी आबादी संचार के माध्यम के रूप में इसे इस्तेमाल करती हो

(2) यह सुस्पष्ट हो और विश्व ज्ञान भंडार को प्राप्त करने में सहायक हो

(3) वह हमें लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हो

वर्तमान में संस्कृत से हम विश्व ज्ञान भंडार से बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते, न ही कोई लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम केवल अपने समय व

संसाधानों की बर्बादी करेंगे। यद्यपि संस्कृत एक साहित्यिक भाषा है परन्तु यह जन सामान्य के किसी भी भाग द्वारा नहीं बोली जाती है। इस प्रकार बहुभाषावाद की बात करना खोखले शब्दों द्वारा लोगों को भ्रमित कर हिन्दी और संस्कृत को छलावे के रूप में थोपना, अंग्रेजी और यहाँ तक कि मातृभाषा के महत्व को कम करना है। इस संदर्भ में भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा राजा राममोहन राय की चेतावनी याद करना उपयुक्त होगी, अपने आप में एक महान संस्कृत विद्वान होते हुए भी आज से लगभग 200 साल पहले उन्होंने लिखा था – ''...हम पाते हैं कि सरकार एक संस्कृत स्कूल हिन्दू पंडितों के नेतृत्व में वही ज्ञान देने के लिए खोल रही है जो वर्तमान भारत में है...। शिक्षा का संस्कृत सिस्टम देश को अंधकार में रखने की उत्तम चाल है।'' (भारत के पूर्व गवर्नर जनरल अमहर्स्ट को 11 दिसंबर 1823 को लिखे पत्र से) एक ओर महान संस्कृत विद्वान और वेदान्तकार विवेकानंद ने लिखाः **''भारत में प्राचीन काल से सीखने का माध्यम संस्कृत रहा इसलिए शिक्षितों और साधारण जनता के बीच में एक बहुत गहरी खाई खड़ी हो गई है। ''जरा संस्कृत को देखो, ब्राह्मणों की संस्कृत को देखो, तुलनात्मक रूप से हाल की संस्कृत को देखो, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि जब तक एक इंसान जिंदा है एक जीवंत भाषा बोलता है,** लेकिन जब वह मर जाता है तो वो मृत भाषा बोलता है।'' एनईपी 2020 और इसके प्रस्तावक एक ऐसी भाषा के लिए खड़े हैं और उसे वापस लाना चाहते हैं जिसे किसी और ने नहीं विवेकानंद ने मृत घोषित किया है।

एनईपी 2020 में प्राचीन भारत का गौरव पूर्ण ज्ञान

एनईपी 2020 सेक्शन 4.27 (पृष्ठ 16): ''भारत के ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा – इन तत्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो वहाँ वैज्ञानिक तरीके और एक सटीक रूप से शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी एवं पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा – भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।''

वास्तविकताः इससे इनकार नहीं है कि प्राचीन काल के दौरान भारत के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र के गणित, चिकित्सा, सर्जरी, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि में अनेक शानदार योगदान रहा हैं। पहला सवाल यह है कि प्राचीन समय में हासिल किया गया अति उत्तम ज्ञान भी क्या आज की किसी समस्या का समाधान कर सकता है या आज के आधुनिक युग के जटिल मसलों का हल निकाल सकता है? इसका साधारण सा उत्तर है

– नहीं। दूसरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रशंसा करते हुए यह दावे किए गए हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में हवाई जहाज, विमान, पुष्पक रथ उड़ा करते थे या हाथी के सर को मानव धड़ पर लगाने की प्लास्टिक सर्जरी उस समय प्रचलित थी और इसी तरह के और दावे। अगर ये सत्य हैं तो ये पूर्व के समकालीन-समानांतर विश्व के किसी भी कोने में हुए वैज्ञानिक विकास से अलग एकाकी रूप में बिना कोई सबूत छोड़े तो घटित नहीं हुए होंगे! लेकिन कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार का मौलिक प्रमाण इन दावों के समर्थन में नहीं है। न ही उस समय के सैद्धांतिक वैज्ञानिक विकास ऐसा कोई हवाई जहाज या प्लास्टिक सर्जरी होने का आधार उपलब्ध करा पाए हैं। इसलिए ऐसे दावे तर्कहीन, अवैज्ञानिक, हास्यास्पद लगते हैं जो केवल आत्मप्रशंसा के लिए बनाए गए हैं। इस के साथ ही और भी मुद्दे हैं। सदियों से ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान और द्विपक्षीय प्रभाव भारत और यूनान, मिश्र, बेबीलोनिया(वर्तमान ईराक), चीन आदि के बीच स्वतंत्र रूप से होता था। असल में सम्पूर्ण मानव ज्ञान इसी रूप में उन्नत हुआ है। विश्व के किसी भी हिस्से में विकसित हुआ कोई भी ज्ञान उसी क्षण सार्वभौमिक हो जाता है। यह कभी भी किसी सीमा, राष्ट्रीयता या किसी और चीज से बंधा नहीं होता। इस को नकारते हुए अपने बच्चों को केवल भारत के योगदान के विषय में पढ़ाना एकतरफा होगा। एनईपी 2020 केवल प्राचीन भारतीय योगदान के बारे में बात करती है और स्पष्ट रूप से अन्य सभ्यताओं के विषय में उन्हें अंधेरे में रख रही है। यह हमारे बच्चों की चिंतन शक्ति का तमाशा बना देगी और उनमें अंधता और कट्टरता के बीज बो देगी। अपने अतीत के प्रति झूठा गौरव और प्रशंसा हमारे पूर्वजों व उनके वास्तविक योगदान का अपमान है। दूसरों के योगदान को कमतर आंकना अनैतिक है और यह अंधराष्ट्रवाद को भड़काता है। करिकुलम की यह दिशा करिकुलम के मौलिक जनवादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत और जांचे-परखे तथ्यों से ही करिकुलम और सिलेबस बनें। प्राचीन भारत ने भास्कर, आर्यभट, सुश्रुत आदि तेजस्वी लोगों को पैदा किया है। लेकिन एनईपी 2020 जानबूझकर इस बात को नजरंदाज कर रही है कि आधुनिक भारत में पैदा हुए आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय, जे सी बोस, सर सी वी रमन, एस एन बोस, मेघनाथ साहा, रामानुजन और अन्य ऐसे ही महान वैज्ञानिकों ने भी आधुनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो पश्चिम की बराबरी का रहा है। साथ ही साथ, आधुनिक नवजागरण के नेता राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योति राव फुले, विवेकानंद, रबिन्द्र नाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, लाला लाजपत राय और ऐसे ही अन्य लोग भी भारत में जन्म लिए जिनका महान योगदान धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सुधारों, मूल्यों पर आधारित संस्कृति को प्रचारित-प्रसारित करने में अभूतपूर्व रहा। आधुनिक भारत उन्ही की बनाई इमारत पर खड़ा है। आधुनिक भारतीय ज्ञान, विश्व ज्ञान के साथ, संपूर्णता से, स्वभाविक रूप से उसके अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुआ। इसलिए अगर कोई भारतीय

ज्ञान प्रणाली है भी तो उसमें इन सभी महापुरुषों के योगदान को शामिल किया जाना चाहिए।

स्कूल काम्प्लेक्स और शिक्षकों की भर्तीः सरकार का जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना

एनईपी 2020 सेक्शन 5.10 (पृष्ठ 21): "प्रभावशाली स्कूल प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल काम्प्लेक्स या स्कूलों को वैज्ञानिक रूप से, स्कूलों तक पहुँच कम किए बिना उन्नतशील रूप अपना सकती हैं। जीवन्त शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। स्कूल काम्प्लेक्सों को शिक्षकों को काम पर रखने से विद्यालय परिसर में स्कूलों के बीच संबंध स्वतः बन सकते हैं। उत्कृष्ट विषयवार वितरण को भी यह सुनिश्चित करेगा।"

एनईपी 2020 सेक्शन 5.10 (पृष्ठ 21): "अतः एक सशक्त, मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा ताकि बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन व पहचान मिलेगी।"

सेक्शन 5.18 (पृष्ठ 22): "कैरियर की वृद्धि (कार्य काल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के संदर्भ में) एक सकल स्कूल चरण (यानि मूल भूत प्रारंभिक, मिडल या माध्यमिक) के भीतर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है।"

सेक्शन 7.2 (पृष्ठ 28): "इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते, शिक्षकों के नियोजन के साथ साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ साथ व्यवहारिक नहीं है।"

सेक्शन 7.6 (पृष्ठ 29): "उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक सामूहिक संरचना की स्थापना होगी। जिसमें माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें पांच-दस किलोमीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे।"

वास्तविकताः स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सार्वभौमिक, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने की मांग बार-बार उठाई जाती रही है। 1986 की शिक्षा नीति ने निजी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पूरे देश में बाढ़ सी ला दी है। बाद में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कुख्यात डी पी ई पी, फिर सर्वशिक्षा अभियान जैसी स्कीम और अंत में शिक्षा अधिकार कानून 2009 का ढिंढोरा पीटा गया। ऐसे कदमों ने न केवल सरकारी संस्थानों के स्तर को बदहाली में पहुंचाया बल्कि अभिभावकों को निजी व्यापारिक संस्थानों के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर किया। अब भारत

के लगभग 50 प्रतिशत (12 करोड़ छात्र) आज निजी स्कूलों में दाखिल हैं। 1978 में सरकारी स्कूलों में जो 74.1 प्रतिशत का दाखिला था, वो 2017 में घटकर 52.2 प्रतिशत हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में सभी सरकारें अनार्थिक घाटे की संख्या का हौव्वा खड़ा कर, संसाधनों की बर्बादी आदि की बात कर रही हैं, और इसी का सहारा ले कर हजारों स्कूलों को बंद कर रही हैं। इसी अर्थ में एनईपी 2020 'छोटे स्कूल' की दलील दे रही है और स्कूल कांम्पलेक्सों का सुझाव दे रही है। इन स्कूलों में पांच से दस किलोमीटर के दायरे में आस-पास के सभी छोटे स्कूल और आंगनबाड़ियों को एक सेकेंड्री स्कूल के साथ जोड़ दिया जाएगा।'' यह नीति सार्वजनिक यानि सरकारी शिक्षा संस्थानों के अस्तित्व के लिए अपने आप में विनाशकारी है और एक बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों को बंद करने की ओर ले जाएगी। एनईपी 2020 द्वारा स्कूल काम्प्लेक्सों में, शिक्षकों, आधारभूत ढांचों, लायब्रेरी आदि को साझा करने की वकालत सरकार के जानबूझ कर असफल होने और माफी मांगने के अभिनय का अंग है। यह सरकार को वित्तीय जिम्मेदारी से, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने, नये स्कूल खोलने की जिम्मेदारी से मुक्त करती है। यह सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। तीस से कम की संख्या में दाखिले वाले प्राईमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। यूनिफाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट कहती है कि लगभग 60 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद होंगे। यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से हो रहा है, जैसे आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश ओडिशा के साथ त्रिपुरा जहाँ सरकार ने पहले ही पूरे स्कूल सिस्टम को प्राईवेट निवेशकों को सौंप दिया है। एनईपी 2020 में अन्य दूरगामी सिफारिशें हैं - टीचर्स की नियुक्ति व भर्ती पूरे स्कूल काम्प्लेक्स के लिए करना न कि किसी एक स्कूल के लिए। इस का अर्थ हुआ कि शिक्षक को उस काम्प्लेक्स के सभी स्कूलों में काम करना पड़ेगा और काम्प्लेक्स में शामिल किसी भी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर उसका प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नियुक्ति का कार्यकाल आदि का मूल्यांकन एकाधिक पैरामीटर और मैरिट पर आधारित होगा न कि उसके अनुभव पर। एनईपी 2020 खुले तौर पर घोषित करती है कि 'कार्य काल' का संदर्भ स्थायी नियुक्ति के लिए पुष्टि प्रदर्शन, योगदान जबकि 'कार्यकाल के ट्रैक' का अर्थ है परीक्षा के पिछले समय का रिकॉर्ड। ये सभी प्रावधान प्राईवेट कारपोरेट कंपनियों की नियुक्तियों से ज्यादा मेल खाते हैं जहाँ 'हायर एंड फायर' के नियमों का पालन किया जाता है। शिक्षण जैसे पवित्र कार्य में नौकरी की सुरक्षा और अकादमिक स्वतंत्रता का महत्व और किसी भी चीज से ज्यादा है, नहीं तो यह दासत्व की श्रेणी की वेतन भोगी सेवा के निचले स्तर पर आ जाएगी।

प्राईवेट स्कूलों के लिए नियम या स्वछन्द कारपोरेटाइजेशन

एनईपी 2020 सेक्शन 8.3 (पृष्ठ 30): ''वर्तमान नियामक व्यवस्था जहाँ एक तरफ लाभ के लिए खोले गए फार प्रोफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े

पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है, वहीं दूसरी तरफ अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक व निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच काफी विषमता रही है, जब कि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।''

सेक्शन 8.8 (पृष्ठ 32): ''इनपुट पर जोर देना, और उनके विनिर्देशों की यांत्रिक प्रकृति - भौतिक एवं अवसंरचनात्मक - को बदल दिया जाएगा और आवश्यकताओं को धरातल पर वास्तविकताओं के अनुसार अधिक संवेदनशील बनाया गया है। उदाहरण के लिए, भूमि क्षेत्रों और कमरों के आकार, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों आदि की व्यवहारिकता के बारे में। जनादेश को समायोजित और शिथिल किया जाएगा, जिससे संरक्षा, सुरक्षा और एक सुखद और उत्पादक अधिगम स्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को स्थानीय आवश्यकताओं और बाधाओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए उपयुक्त लचीलापन मिलेगा।''

वास्तविकता: ये सभी नियम बड़ी संख्या में चल रहे प्राईवेट स्कूलों के बारे में हैं। ज्यादातर ये प्राईवेट स्कूल विभिन्न हैड्स के नाम पर, मोटी रकम फीस के रूप में वसूलने के लिए बदनाम हैं। दूसरी ओर शिक्षण-अधिगम, शिक्षण-विधि, आधारभूत सुविधाएं - कक्षा कक्ष का साइज, वैंटिलेशन, प्लेग्राउंड, फायर-सेफ्टी आदि नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। यह भी तथ्य है कि सरकारी शैक्षिक प्रशासन और प्राईवेट स्कूलों के दुष्ट मैनेजमेंट की मिलीभगत से ही यह सब घटित होता है। इसलिए पीड़ित अभिभावक, जनसमुदाय और संबंधित शिक्षा प्रेमी यह मांग करते रहे हैं कि इन प्राईवेट संस्थाओं पर विनियमन के लिए विस्तृत कानून लाया जाए और इसे सख्ती से लागू भी किया जाए। लेकिन पूर्ववर्ती सभी केन्द्र सरकारों समेत वर्तमान केन्द्र सरकार ने जब भी कोई शिक्षा नीति तैयार करने का काम अपने हाथ में लिया है, शिक्षा के ''व्यापारीकरण और मुनाफा कमाने वाले प्राईवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों के आर्थिक शोषण'' पर दुख तो व्यक्त किया है मगर दूसरी ओर सब ने बिना किसी अंतर के सभी ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रकार वर्तमान नीति भी नियमों को लागू करने में और छूट देने की वकालत करती है, प्राईवेट मैनेजमेंट की प्रसन्नता और शिक्षा के व्यापारीकरण, द्वारा मुनाफा लूटने की खुली छूट देने के लिए ''उन्हें अपने स्वयं के निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं, अपनी सीमाओं के आधार पर लेने का अधिकार'' देती है।

भाग - 2
उच्च शिक्षा

18 वर्ष की आयु में स्कूलिंग पूरी करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा के स्तर पर पहुँचते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, रीति रिवाजों, आदतों की अभ्यस्त मानसिकतावाले लोगों के समाज में, एक छात्र, इस आयु में कठिनाई से ही अपने कोर्स कैरियर और अन्य विकास की अपनी योजना बना सकता है। फिर भी उस बालक या बालिका को आधुनिक युग के द्वार पर खड़ी हजारों समस्याओं में से एक का सामना करने की हिम्मत से खड़ा कर दिया गया है। जबरदस्त बहुमतायत में छात्रों को अपने व अपने परिवार के जीवन-यापन के लिए कमाने या न कमाने के साथ अपनी आगे की शिक्षा की कीमत चुकाना - सबसे बड़ी रुकावट है। छात्राओं के लिए साधारण परिवार, अमीर-गरीब, शहर-गाँव, सभी जगह, आत्मनिर्भर कैरियर खड़ा करना एक अतिरिक्त मुश्किल स्थिति है, अक्सर उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही, शादी के बंधन में जबरदस्ती बांध दिया जाता है। देश व समाज की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा इनके लिए समाधान के कदम लिए हुए एक उच्च शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए। एन ई पी 2020 इस दिशा में कार्य करती दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि यह ऐसा एक उपाय है, जिसका पूरी तरह विशलेषण करने पर पता चलता है कि यह निश्चित रूप से देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देगी। संक्षिप्त रूप से हम इनसे संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख नीचे कर रहे हैं।

शिक्षा में बहुविषयक अप्रोच
अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर

एनईपी 2020 सेक्शन 10.1 (पृष्ठ 34): "उच्च शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु-विषयक विश्व विद्यालयों, कालेजों और हाई कलस्टर नॉलेज हबों में स्थानांतरित कर के उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा।"

सेक्शन 10.2: "भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, और विक्रमशिला में भारत व अन्य देशों के हजारों छात्र जीवंत एवं बहु-विषयक परिवेश में शिक्षा ले रहे थे। भारत को बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए इस परंपरा को वापस लाने की आवश्यकता है।"

वास्तविकता: एनईपी 2020 के अनुसार - वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था में मुख्य परिवर्तन बहु-विषयक युनिवर्सिटीज और कॉलेज और उससे भी अधिक बहु-विषयक पूर्व-स्नातक शिक्षा मुख्य तत्व है। यह इसे समग्र शिक्षा का आह्वान कहती है इसकी व्याख्या "कई कलाओं के ज्ञान की धारणा" के रूप में करती है, या जो आधुनिक युग में अक्सर

'लिबरल आर्ट्स' के नाम से जानी जाती है, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वापस लाई जानी है। यह वास्तव में उसी तरह की शिक्षा है जो 21 वीं शताब्दी के लिए चाहिए। आइए देखें इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा संबंधित या शिक्षा की बातचीत में डिसिप्लिन का अर्थ है - ब्रांच, जैसे कि विज्ञान, मानविकी, कामर्स, फाइन आर्ट्स इत्यादि। प्रत्येक के अपने अलग विषय हैं। समय के साथ और ज्ञान की उन्नति के साथ, कुछ परिवर्तन आते रहे हैं। विज्ञान में भी कुछ औपचारिक और कुछ अनौपचारिक पृथक करण, फिजीकल सांइसेज, बायो साइंसेज, और अर्थ साइंसेज आदि हरेक का अपना डिसीप्लिन और सब डिसीप्लिन है। आप जो कहना चाहें। आजकल छात्र इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार विषय चुनने की अनुमति पाते हैं। कुछ ऐसे विषय जैसे कि मोल्यूक्यूलर बायोलॉजी, या जियोफिजिक्स जो कि वास्तव में अंतःविषय कोर्सेज हैं जहाँ वास्तव में अंतःविषय पाठ्यक्रम हैं, जहाँ छात्रों को विभिन्न विषयों की विभिन्न उन्नत शाखाओं से परिचित कराया जाता है, पहले मामले में, भौतिक विज्ञान के साथ जैव विज्ञान और रसायन विज्ञान, और दूसरे मामले में भौतिकी के साथ भू विज्ञान। अतः ज्ञान के विकास के स्वाभाविक क्रम में विषयों के बीच की सीमाएँ मिट रही हैं। विस्तारित और अधिक से अधिक अंतःविषय पाठ्यक्रम आ रहे हैं। दूसरी ओर, निर्धारित बहु-विषयक दृष्टिकोण किसी भी व्यापक ज्ञान के लिए विनाश का कारण बनेगा। एक छात्र, उदाहरण के लिए, इतिहास और संगीत को सब्सिडरी विषय के साथ भौतिकी को प्रमुख विषय चुनेगा, न तो वह सब्सिडरी विषयों को सीखेगा, और न ही प्रमुख विषय भौतिकी का कोई व्यापक ज्ञान होगा। फिर किस बात ने नीति निर्माताओं को बहु-विषयक और समग्र शब्दावली जैसे लुभावने शब्दों पर कूदने के लिए प्रेरित किया?

निःसंदेह तक्षशिला और नालंदा तथा ऊपर वर्णित अन्य स्थान भी शिक्षा के महान केंद्र थे। तो इसी प्रकार यूनानी संस्थानें भी थे। लेकिन क्या तब से ज्ञान की दुनिया का विकास होना रुक गया है? क्या अतीत की शिक्षा के उन महान आसनों के पाठ्यक्रम और तरीके वर्तमान जटिल आधुनिक दुनिया की मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं, वे नहीं कर सकते हैं और इसलिए नीति-निर्माताओं को स्वयं अन्य देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे लिबरल आर्ट्स के तथाकथित वर्तमान सफल तरीकों-प्रणाली-संस्थानों को लाना पड़ा। लेकिन क्या किसी देश की शिक्षा प्रणाली को दूसरे देश से नकल करके विकसित और मजबूत किया जा सकता है? क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में समान सामाजिक मानसिकता, समान पारिवारिक-सामाजिक-राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिनका छात्रों को सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान नीति निर्माता लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश मॉडल का अनुसरण करती है, जिसमें अंग्रेजी को भारी महत्व दिया जाता है। इसका भारतीयकरण होना चाहिए। इसलिए वे प्राचीन काल और भारतीय ज्ञान प्रणालियों की ओर देखते हैं। लेकिन चूंकि वे यह भी जानते हैं कि शासकों के लिए उस परंपरावाद पर विश्वास करना आत्मघाती होगा, तथाकथित 21 वीं सदी के लिए जरूरी शिक्षा का नारा लगाकर, वे एक साथ आर्ट्स, आइवी लीग

ऑफ स्कूल्स, सीबीसीएस, 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम जैसे संस्थानों की प्रणालियों-विधियों के बारे में घोषणा करते हैं, जिनका यूएसए में पालन किया जा रहा है। 'बहुविषयक' और 'समग्र' शिक्षा के लिए पूरी कवायद और कुछ नहीं बल्कि एक तरफ 'तक्षशिला और नालंदा' और 'विश्वगुरु की गद्दियों' के नाम पर पुरानी प्राचीन भारतीय परंपरावाद का महिमामंडन है और इसके मॉडल की नकल करना है। दूसरी ओर यूएसए के फेल माडल की नकल। यह उस तरह का भारतीयकरण है जो एनईपी 2020 लाना चाहती है। एनईपी 2020 उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करने की दृष्टि से बहु-विषयक शिक्षा पर 'मुख्य जोर' रखता है, 'उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहु-विषयक (संस्थानों) में बदलकर' 3,000 या अधिक छात्रों को रखने का लक्ष्य रखता है। यह फिर से प्रशासनिक मुद्दों के साथ अकादमिक विषयों का एक साधारण मिश्रण है। निर्धारित बड़ी छात्र संख्या के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बदलाववादी प्रबंधन, एकल विषयों को बड़े बहु-विषयक विषयों में बदलने का प्रबंधन 'उच्च शिक्षा के विखंडन' को समाप्त करने के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, जो एक अकादमिक मुद्दा है? लेकिन यह घालमेल क्यों? ये लोग जानते हैं कि जवाब नहीं है। शिक्षा के प्रति शासकों की प्रतिबद्धता को लंबे समय से जारी राज्य विश्वविद्यालयों और स्नातक कॉलेजों की आर्थिक रूप से विपन्न और दयनीय स्थिति को देखते हुए, इन्हें बड़े बहु-विषयक संस्थानों में बदलना एक दिवास्वप्न है। अधिक से अधिक कुछ प्रमुख संस्थान जैसे आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जीवित रह सकते हैं और इस तरह से 'बड़े' हो सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का भाग्य सील कर दिया जाएगा। पहले से ही इनमें से अधिकांश संस्थान बंद होने के कगार पर हैं। उनके पास भारतीय या विदेशी निवेश की ओर जाने का विकल्प होगा, या वे लाभ कमाने के लिए बेलगाम स्वतंत्रता के साथ ऐसे बड़े परिसरों में विकसित होंगे और जिनमें उच्च शिक्षा केवल कुछ अमीरों के विशेषाधिकार में बदल जाएगी।

चार वर्षीय डिग्री कोर्स

एनईपी 2020 सेक्शन 11.9 (पृष्ठ 37): "स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमे उपयुक्त प्रमाणपत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रूचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहु-विषयक एक अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि

प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र एचईआई द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है।"

वास्तविकताः सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रस्तावित परिवर्तन, जो कि 4-वर्षीय पाठ्यक्रम है, समयावधि का विस्तार करेगा और जिससे शिक्षा की लागत, जो वर्तमान स्थिति में पहले से ही बहुत अधिक है, बिना कोई अकादमिक प्रभावी सुधार लाए, आम छात्रों पर और भी भारी बोझ डालेगी। यह सच है कि अन्य विकल्प भी हैं। लेकिन एक छात्र 1 साल के सर्टिफिकेट या 2 साल के डिप्लोमा या यहां तक कि 3 साल की डिग्री के साथ क्या करेगा, जब 4 साल की डिग्री का महत्व हो? आम छात्र जो बीच में बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं, 4 साल के डिग्री धारकों की प्रतिस्पर्धा में आने पर किसी भी रोजगार से वंचित हो जाएंगे। विडंबना यह है कि नई नीति एक तरफ 'समग्र शिक्षा' के लिए इतनी मुखर है और दूसरी तरफ छोटी और खंडित योग्यताएं प्रदान करती है। यह केवल उच्च शिक्षित बेरोजगारों के बीच अधिक भेदभाव लाएगा। दरअसल, 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का आइडिया कोई नया नहीं है। 2013 में, छात्रों और अकादमिक समुदाय के भारी विरोध के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय इस योजना को लागू करने पर तुला हुआ था। अंततः निरंतर विरोध का सामना करते हुए इसे वापस ले लिया गया। अब नई नीति से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक राज्य 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस राज्य में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स जो प्रचलन में है वह बहु-विषयक और अंतर-अनुशासनात्मक है। यह छात्रों को अध्ययन के लिए 3 'प्रमुख विषय' प्रदान करता है। इसलिए स्नातक होने के बाद, एक छात्र 3 प्रमुख विषयों में से किसी एक में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान चार वर्षीय डिग्री कोर्स जो कि बहुविषयक कार्यक्रम है। बहु-विषयक कार्यक्रम के साथ, एक छात्र के पास केवल 1 प्रमुख विषय का अध्ययन करने का विकल्प होता है। हालांकि कार्यक्रम बहु-विषयक होने का दावा करता है, वास्तव में यह पाठ्यक्रम एक डिसप्लिन है! यह नौकरी के अवसरों और यह उच्च अध्ययन की गुंजाइश को कम करता है। फिर, तथाकथित बहु-विषयक और कौशल उन्मुख पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम-संयोजन को इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उनमें एकीकृत और व्यापक ज्ञान आधार का अभाव है। चार साल की डिग्री की इस पूरी योजना का उद्देश्य हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक बाजार से जोड़ना है ताकि कुछ संपन्न लोगों को सुविधा मिल सके जो विदेशी भूमि, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा - एक नया सामान्य जो लाता है डिजिटल बंटवारा

एनईपी 2020 सेक्शन 24.1 (पृष्ठ 58): नई परिस्थितियाँ और

वास्तविकताओं के लिए नई पहल अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक माहामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में, नई शिक्षा नीति, 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते है। साथ ही, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित आईसीटी - आधारित पहल को अनुकूल और विस्तारित करना होगा।

वास्तविकताः बहु-प्रचारित 'डिजिटल इंडिया' के एक हिस्से के रूप में ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन एनईपी 2020 का अभिन्न अंग है। एक 'विघटनकारी प्रोद्योगिकी' जिसको 'न्यू नार्मल' के रूप में (देखें - DNEP2019 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन शीर्षक से) सरकार जिसका ढिंढोरा पीट रही है, जिसका उद्देश्य पुरानी व्यवस्था से अलग-थलग वातावरण पैदा करना है, और जिसे 'उपभोक्ताओं, के रूप में उद्योगपतियों और व्यवसायियों के कार्य' को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए खड़ा किया गया है, जनता के लिए इसमें कोई चिंता नहीं है। यह गूगल के सीईओ द्वारा डिजिटल अभियान में बहुत पैसे के निवेश करने से, और ऑनलाइन शिक्षा के उदार सरकारी संरक्षण (सार्वजनिक और निजी निवेश के बराबर) का लाभ उठाते हुए कॉर्पोरेट घरानों के स्वामित्व वाले शैक्षिक ऐप की बढ़ती हुई आक्रामक पहल से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है। दूसरी ओर, सभी वर्गों द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य रूप से छात्रों के बीच एक डिजिटल विभाजन पैदा करती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक, मंहगे लैपटॉप, स्मार्ट फोन, उन्हें सुचारू बनाए रखने की आवर्ती लागत, विशेष रूप से, समाज के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए व शहरों में भी बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लगातार बनी रहने वाली अनिश्चितता के चलते, इन विशेष उपकरणों का उपयोग करने में तैयारी की कमी, आम छात्रों, उनके अभिभावकों, यहां तक कि शिक्षक या अधिकारी भी, ये सभी छात्रों द्वारा इस ऑनलाइन मोड को स्वीकार करने में केवल दुर्गम कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार यह ऐसे छात्रों को शिक्षा से बाहर कर देता है। इसके अलावा, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के मूल तत्व पर प्रहार करती है। ऑनलाइन शिक्षा कम से कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। लेकिन औपचारिक अध्ययन के किसी भी स्तर पर शिक्षकों और छात्रों के बीच आमने-सामने संपर्क के साथ, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के प्राथमिक या प्रारंभिक माध्यमिक चरणों में कक्षा शिक्षण को बदलने का विकल्प कभी नहीं हो सकता है। अन्य कारणों से ऑनलाइन

मोड सही समय पे चीजें होंगी, इसकी गारंटी नहीं दे पाता है। शिक्षक द्वारा पोस्ट किया गया व्याख्यान किसी भी समय, या बाद में, या नहीं भी देखा जा सकता ह। शिक्षक और छात्र के बीच कोई संबंध नहीं होगा। छात्रों को शिक्षित करने की सामाजिक जिम्मेदारी पूरी तरह से हवा में फेंक दी जाती है और जिम्मेदारी पूरी तरह से छात्रों पर डाल दी जाती है यदि छात्र अध्ययन नहीं करते हैं, अगर उनके घर में सही तरह का माहौल नहीं है, तो जिम्मेदारी उनकी है। सरकार और समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार एनईपी 2020 के लेखक होते हुए स्वयं स्वामी विवेकानंद को एनईपी 2019 के मसौदे में उद्धृत किया था, जहां उन्होंने कहा था, **"शिक्षा वह जानकारी नहीं है जो आपके मस्तिष्क में ठूंस दी जाए और वहां बिना पचे, आपका सारा जीवन उत्पात मचाती रहे, बल्कि वास्तव में शिक्षा जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात करना होना चाहिए। "यदि शिक्षा सूचना के समान है, तो पुस्तकालय दुनिया के सबसे महान संत हैं और विश्वकोश सबसे महान ऋषि हैं"।** ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धरण का इस्तेमाल केवल एक दिखावे के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए किया गया था, जबकि असली मंशा और प्रक्रियाएं दूसरी तरफ जाती हैं। और इन सबके पीछे से यह नारा लगाते हुए कि सार्वजनिक और निजी निवेश बराबर हैं, शिक्षा कारपोरेट घरानों को सौंपी जा रही है और सरकारें अपना पल्ला झाड़ रही हैं, एक और तरीका जो एनपीई 86 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से किया गया था डीपीईपी, एसएसए जैसी योजनाओं में परिलक्षित होता है। ऐसा कहते हुए, एनईपी 2020 में, ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार करने के साथ यह प्रवृत्ति अपने चरम पर आ जाती है।

एनईपी 2020 की दो शाखाएँ: एबीसी योजना और शिक्षा देने का मिश्रित तरीका

एनईपी 2020 इस प्रकार बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रस्ताव पेश करती है क्योंकि एक पाठ्यक्रम के दौरान कई निकास पर मुख्य जोर दिया जाता है। यह ऑनलाइन शिक्षा को नए सामान्य के रूप में प्रचारित करती है। यह 4 साल का डिग्री को लागू करती है जिसके बिना विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलना मुश्किल है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पहले ही शुरू किया जा चुका है। क्या ये सभी अलग-अलग, विवेकपूर्ण उपाय इस नीति में शामिल किए गये है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ये सभी एक सामान्य डिजाइन के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। और यह बात इन दो योजनाओं, एबीसी योजना और पठन-पाठन के मिश्रित मोड से स्पष्ट हो जाता है।

एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स स्कीम, केन्द्र सरकार के इशारे यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा में धकेली गयी है। यह बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और उच्चतर शिक्षा में बहु-प्रवेश और निकास प्रणाली का आधिकारिक अनुमोदन है। यह उच्च शिक्षा में सभी छात्रों

के रिकॉर्ड को अपने नियन्त्रण में संगठित करेगा, जो केंद्रीय रूप से प्राधिकरण के पूर्ण नियंत्रण में स्थित रहेगा, और आमतौर पर छात्रों की पहूंच से दूर रहेगा। एबीसी योजना ही छात्रों को किसी भी संस्थान से डिग्री के लिए सौंपे गए 50–70 प्रतिशत क्रेडिट और शेष 30–50 प्रतिशत क्रेडिट उस संस्थान से प्राप्त करने की अनुमति देगी, जिसके साथ उन्होंने पंजीकरण किया है। इससे कई गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह केवल छात्रों, शिक्षकों, प्रशासन और पूरी व्यवस्था के लिए अराजकता को जन्म देगा। विभिन्न संस्थानों से या तो कक्षा या ऑनलाइन और डिस्टेन्स मोड के माध्यम से प्राप्त किए गए क्रेडिट विभिन्न मानकों और मूल्यों के होंगे, जिससे छात्रों को अपना कैरियर चुनते समय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संयोजनों को समायोजित करने में शिक्षकों और प्रशासन को असहनीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संपूर्णतः समन्वित कक्षा शिक्षण इसका अंतिम शिकार होगा। इसके अलावा, एबीसी उन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का एकसाथ उल्लंघन है जिनके रिकॉर्ड केंद्रीय रूप से संरक्षित हैं और प्राधिकरण की पसंद पर स्वतंत्र रूप से हेर फेर किया जा सकता है। इसके अलावा, यूजीसी ने एचईआईएस को एबीसी योजना की शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में दंडात्मक उपायों की धमकी जारी की है। अब उन्होंने इसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार यह अकादमिक स्वायत्तता पर एक भोंथरा, उग्र और निंदनीय हमला है।

दूसरा, एनईपी 2020 (डीएनईपी 2019 में भी) में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए और इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान तथाकथित शिक्षण के ब्लैंडेड मोड में अपने सबसे गंदे रूप को साकार करता है। कथित तौर पर, मिश्रित मोड 60 प्रतिशत ऑफलाइन और 40 प्रतिशत ऑनलाइन मोड के साथ ''डिजिटल लर्निंग टूल्स को अधिक पारंपरिक कक्षा के आमने-सामने ('ऑफलाइन') शिक्षण के साथ जोड़ देगा। प्रौद्योगिकी-संचालित और प्रौद्योगिकी-सक्षम सम्मिश्रण मोड में, छात्र अपनी पसंद के अनुसार सीख सकते हैं। 'कभी भी' और 'कहीं भी', 'किसी भी गति' से, 'किसी भी मोड' में, 'किसी भी भाषा' में, विषयों के किसी भी संयोजन के साथ। तथाकथित 'मल्टी-डिसीप्लिनरी' पाठ्यक्रमों में। यह 'स्वतंत्रता' प्रदान करता है क्योंकि वे 'समय स्थान की बाधाओं' को पार कर सकते हैं। इसलिए यह इसके सभी दोषों और समस्याओं को साथ लेकर पूरी तरह से अध्ययन के मल्टी-डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण, एक पाठ्यक्रम के लिए कई निकास-प्रवेश, सीबीसीएस आदि जैसी प्रणालियों पर आधारित है। शिक्षक, जिन्हें यूजीसी द्वारा ज्ञान प्रदाता कहा जाता है, स्पष्ट रूप से अपनी पारंपरिक रूप से प्रशंसित मानव-निर्माण चरित्र-निर्माण भूमिका से दूर होंगे। एक ओर, यदि सबसे महत्वपूर्ण न भी हो, तो भी एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि जिस क्षण मिश्रित मोड लागू किया जाता है, कॉलेज और विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं रहेंगे, क्योंकि वे ओडीएल मोड के केंद्रों यानी सीखने के खुले और दूरस्थ मोड में सिमट कर रह जाएंगे। ऑफलाइन मोड यानि आमने-सामने मोड शिक्षण केवल पाठ के प्रस्तुतिकरण, टापिक के सारांश, जटिल अवधारणा समझाने के लिए छात्रों और प्रशिक्षकों को छोटी अवधि के (10–15 मिनट

के) दिए जाएंगे। केवल यहाँ ऑफलाइन मोड उपयोग होगा 'छात्र' कक्षा में सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने पर सवाल करेंगे। साथ ही, 60 प्रतिशत ऑफलाइन मोड के भीतर, छात्रों को कुल आमने-सामने (कक्षा) समय के कम से कम 30 प्रतिशत के लिए ''पुस्तकालय से किताबें और पत्रिकाओं को उधार लेना और एक्सेस करना'' होगा। वे क्षेत्र का दौरा, खेल, शारीरिक प्रशिक्षण, एप्रैंटिसशिप और भौतिक प्रयोगशाला आदि करेंगे, ये भी आमने-सामने ऑफलाइन मोड में शामिल हैं। तो वस्तुतः शिक्षकों की किसी विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से, विस्तृत रूप से और यहां तक कि संक्षिप्त रूप से व्यापक तरीके से संप्रेषित करने में कोई भूमिका नहीं होगी। 'मिश्रित मोड' के इस 'आकर्षक' नारे के पीछे असली शिक्षा या पढ़ाई खो जाएगी।

विदेशी युनिवर्सिटीज का प्रवेश और देश के हायर एजुकेशन संस्थानों की विदेशों में स्थापना

एनईपी 2020 सेक्शन 12.8 (पृष्ठ 39): ''भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए, विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और शिक्षक/छात्र आदान-प्रदान की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। साथ ही विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह, चुनिंदा विश्वविद्यालयों (जैसे दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी। इसके अलावा, भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किये गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार है तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा।''

वास्तविकताः अंबानी-बिड़ला समिति (2001), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006) और

यशपाल समिति (2009) जैसी शिक्षा पर पहले की सभी समितियों और आयोगों ने एक स्वर में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश और विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के तटवर्ती स्थापना की सिफारिश की थी। 2010 में तैयार किया गया विदेशी शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और संचालन का विनियमन) विधेयक संसद के कार्ड पर वैधानिक मुहर की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे अकादमिक और शिक्षा प्रेमी लोगों के कड़े विरोध के कारण रोक दिया गया था। इस विधेयक के अनुरूप, नई नीति ''भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगी जो कि सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करेगा'' की वकालत करती है। विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद करने और उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी। कुछ लोग इस कदम का इस तर्क पर स्वागत करते हैं कि प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से, हमारी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधारा जाएगा। लेकिन यह गलत है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जैसे शीर्ष श्रेणी के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानक, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, प्रिंसटन आदि केवल यहां अपने परिसरों की स्थापना से प्राप्त नहीं होंगे। ये विश्वविद्यालय सामाजिक विकास के तत्कालीन ऐतिहासिक चरण में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण और ज्ञान के केन्द्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो गए थे जब ज्ञान उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में मदद करना, अस्तित्व और प्रगति ही शिक्षा का एकमात्र पंथ और उद्देश्य था। यही कारण है कि इन विश्वविद्यालयों ने अनगिनत उत्कृष्ट शिक्षकों को विकसित किया था, जो शिक्षक विभिन्न विषयों में महान वैज्ञानिक, इतिहासकार और विद्वान थे। इसी तरह हमारे देश में भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में आचार्य पीसी राय, जगदीश चंद्र बोस, सत्येन बोस, सीवी रमन, मेघनाद साहा और अन्य ने न केवल विज्ञान और ज्ञान की अन्य शाखाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि उन संस्थानों के स्तर और प्रतिष्ठा को भी ऊंचा किया, जिनमें उन्होंने काम किया था। अब हम एक अलग ऐतिहासिक संदर्भ में रह रहे हैं जब पूंजीवादी वैश्वीकरण मुनाफा और केवल मुनाफा के लिए शिक्षा सहित हर चीज को बिकाऊ माल में परिवर्तित करने के लिए उसे नियंत्रित करता है। इस क्रूर वैश्वीकरण के एक हिस्से के रूप में, विश्व व्यापार संगठन ने सेवाओं में व्यापार (जीएटीएस) में सामान्य समझौता किया, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। गैट्स के अनुसार शिक्षा एक व्यापार योग्य सेवा है, संस्था एक सेवा प्रदाता है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है और छात्र एक उपभोक्ता है। तो ''उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय'', ''दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय'' जैसे लुभावने वाक्यांश विदेशी और घरेलू संस्थानों द्वारा ब्रांड नाम की बिक्री और जो भुगतान कर सकते हैं उन लोगों द्वारा डिग्री की खरीद के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी ट्विचेल ने यह टिप्पणी करते हुए इस तथ्य को स्पष्ट किया **''उच्च शिक्षा के अनुभव का**

व्यावसायीकरण, आउटसोर्स और फ्रेंचाइजी होता जा रहा है, इसलिए जो दिया जा रहा है वह अब ज्ञान नहीं है।''

उच्च शिक्षा में नियमन और स्वायत्तता

एनईपी 2020 सेक्शन 18.1 (पृष्ठ 46): ''दशकों से उच्च शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है - जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीयकरण, इन निकायों के बीच स्वहितों का टकराव होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब करने के लिए विनियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है।''

एनईपी 2020 सेक्शन 18.2 (पृष्ठ 47): ''उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य, विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं/व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह सिस्टम में चेक-एंड-बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को खत्म करने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारों सांस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कार्यों को करती हैं स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के साथ-साथ साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ काम करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुख संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा।''

वास्तविकता: मौजूदा नियामक निकायों का उन्मूलन और उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक निकाय का गठन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) और यशपालकमेटी दोनों द्वारा पहले ही से अनुशंसित महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था। समिति (वाईसी) एन के सी ने इसे उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (आइआरएएचई) नाम दिया, जबकि वाईसी ने इसे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिषद (एनसीएचईआर) कहा। अब एनईपी 2020 ने भारत के उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआइ) को अलग नाम दिया है। वर्तमान नियामक निकायों के बीच ''हितों के टकराव'' को कम करने और ''शक्तियों के केंद्रीकरण'' को समाप्त करने की दलील पर, एनईपी 2020 यूजीसी, एआईसीटीयू, बीसीआई को निरस्त करना चाहता है और आवश्यक संसदीय कानूनों के साथ ''एकछत्र संस्थान'', एचईसीआई की स्थापना करना चाहता है। इसके तहत वित्तीय ईमानदारी, सुशासन, संकाय

आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी) नामक चार विंग होंगे, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) ''स्वशासी डिग्री देने वाले संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए'' या ''क्लस्टर'', उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) वित्त पोषण के लिए और सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करने के लिए। एचईसीआई का यह पूरा ढांचा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निकाय है। स्वाभाविक रूप से यह केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ही होगा। शिक्षा के लोकतांत्रिक कामकाज की अवधारणा के अनुसार, सरकारी प्राधिकरण वित्त पोषण और उसकी जवाबदेही तक सीमित होगा, जबकि संपूर्ण शैक्षणिक प्रशासन शिक्षकों, शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों और अभिभावकों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्वायत्त निकायों के साथ है। इसे शिक्षा की स्वायत्तता और शिक्षकों और छात्रों की अकादमिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन इन सभी वर्षों में जो हो रहा है वह शिक्षा पर अधिक से अधिक नौकरशाही नियंत्रण के साथ इस अवधारणा पर अतिक्रमण है और शिक्षकों, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से जीते गए अधिकारों को रौंदना है। यह जानना मुश्किल नहीं है कि एचईसीआई जैसी एक व्यापक संस्था की स्थापना से क्या होगा? न केवल पूर्ण निजीकरण को लागू करने के लिए पूरी ताकत को केंद्र सरकार के हाथों केंद्रित किया जाएगा और केन्द्रीकरण और उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण ''हल्के और कड़े विनियमन'' के नाम पर, और हमारी शिक्षा प्रणाली के लोकतांत्रिक कामकाज के लिए ताबूत में अंतिम कील भी साबित होगी।

सेक्शन 18.13 (पृष्ठ 48, 49) सार्वजनिक और निजी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी वैधानिक अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशानिर्देश होंगे जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये सामान्य न्यूनतम दिशानिर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएंगे और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को तय करेंगे। इन सामान्य दिशानिर्देशों में सुशासन, वित्तीय स्थिरता व सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम-प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होंगी।''

सेक्शन 18.13 (पृष्ठ 49): ''परोपकार और जन हितैषी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए उनके प्रत्यायन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और वृहद् नियामक व्यवस्थाओं के आलोक

में अधिकाधिक छात्रों को फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस/शूल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की यह व्यवस्था के जरिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।''

वास्तविकताः यदि कोई पहले के नीति दस्तावेजों को ध्यान में रखता है, तो शब्दशः और बार-बार दोहराए जाने वाले शब्दजाल के माध्यम से ऐसी महान पवित्र इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि सभी इच्छाएँ धराशायी हो गई हैं और सभी शब्दजाल खोखले शब्द बन गए हैं। अब उसी के साथ, एनईपी 2020 में और अधिक भव्य शब्दाडंबर दोहराये जा रहा है, यह केवल कहने की बात है कि ऊपर उद्धृत उपाय जीएटीएस के प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा के पुनर्गठन का एक और उदाहरण प्रदान करता है जो कि बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट रूप से 'राष्ट्रीय उपचार' के लिए बोलता है। स्पष्ट रूप से यह नुस्खा निश्चित रूप से सत्ता के केंद्रीकरण की ओर है, इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से एनईपी 2020 में बरकरार रखा गया है। मुख्य रूप से, इसका मतलब है कि सभी एचईआई चाहे निजी हो या सार्वजनिक, विदेशी या घरेलू सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। सरकार द्वारा वित्त पोषण के विनिमय के सभी मामलों में इस तरह के समान व्यवहार को दो तरह से संचालित किया जाएगा। सबसे पहले, सरकार को सार्वजनिक एचईआई को विशेष रूप से वित्त पोषित नहीं करना चाहिए। तो इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक एचईआई के लिए कोई सरकारी धन नहीं होगा। सरकारों से वित्तीय सहायता की कमी के कारण पहले से ही सार्वजनिक वित्त पोषित राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों की संख्या अधर में है। जबकि इनमें से कई संस्थान मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एकमात्र विकल्प यह है स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम चलाना, छात्रों की फीस में अत्यधिक वृद्धि करना, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू या ट्विनिंग कार्यक्रम बनाना, कॉर्पोरेट घरानों के साथ उनका राजस्व उत्पन्न करना और बढ़ाना। दूसरा, विदेशी और घरेलू दोनों निजी एचईआईएस को अपने परिसरों को खोलने, बाजार तक पहुंचने, पाठ्यक्रम डिजाइन करने, फीस तय करने आदि की पूरी स्वतंत्रता होगी। यही कारण है कि एनईपी 2020 ''शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों'' ''प्रगतिशील शासन'' के लिए सभी प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है। 'शुल्क निर्धारण' ''शुल्क निर्धारण तंत्र लागत की उचित वसूली सुनिश्चित करेगा'' इत्यादि। इन सभी बड़ी-बड़ी बातों का सही मतलब निजी-कॉर्पोरेट एचईआईएस के लिए सबसे अच्छी तरह से चरितार्थ होता है जो पहले से ही ''लागत की उचित वसूली'' के नाम पर शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने की बात कहते हुए शिक्षा के व्यापारीकरण को रेड कार्पेट स्वागत देना

सरासर धोखा है।

ग्रेडेड ऑटोनोमी

एनईपी 2020 सेक्शन 10.12 (पृष्ठ 36): ''इस नीति द्वारा कल्पित नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनोमी के जरिये और इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति के सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नई कार्यशैली के लिए बढ़ावा देगी। और 15 वर्षों के अंतराल में धीरे-धीरे संबद्ध (एफिलिएटेड) कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि वह अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें तथा अकादमिक और पाठ्यक्रम संबंधी मामलों में न्यूनतम मानदंड, शिक्षण और मूल्यांकन, गवर्नेंस सुधार, वित्तीय मजबूती और प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज प्रत्यायन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज बनने के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय अवधि में प्राप्त करेंगे।''

वास्तविकता: शिक्षा प्रणाली में स्वायत्तता अकादमिक मामलों में सरकार सहित किसी भी बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना शिक्षाविदों, शिक्षकों और छात्रों की अकादमिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता को दर्शाती है। नवजागरण के दौरान विकसित स्वायत्तता की यह शास्त्रीय अवधारणा जाति, पंथ, धर्म और विशेष रूप से शिक्षार्थियों के आर्थिक स्तर के अन्तर के बावजूद सभी के लिए धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा का उद्देश्य रखती है, जिसमें निर्णय लेने के अधिकार, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, की एक प्रणाली जो कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, केवल शिक्षाविदों और शिक्षकों के हाथों में थी! लेकिन एनईपी - 2020 में निर्धारित स्वायत्तता की प्रणाली को 'ग्रेडेड' जैसी नई निर्दिष्ट विशेषता के साथ स्वायत्तता की इस शास्त्रीय अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है। यद्यपि नई नीति स्पष्ट रूप से यह तय नहीं करती है कि ''स्वतंत्र स्वशासी संस्थानों'' जैसे कुछ अस्पष्ट शब्दों को छोड़कर वर्गीकृत स्वायत्तता की प्रणाली का वास्तव में क्या अर्थ है। इसे दो साल पहले तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की सार्वजनिक घोषणा से स्पष्ट किया गया था। वर्गीकृत स्वायत्तता की इस प्रणाली के अनुसार, विश्वविद्यालयों से असंबद्ध सभी एचईआइएस को मान्यता स्कोर के आधार पर तीन प्रकार की श्रेणी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण कदम है। प्रथम श्रेणी, और द्वितीय श्रेणी से संबंधित सभी एचईआइएस जिसमें 3,000 या उससे अधिक छात्रों की संख्या होगी (1) बिना किसी प्रतिबंध के स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम स्थापित कर सकते हैं, (2) निजी भागीदारों के साथ साझेदारी में स्व-वित्तपोषण के आधार पर अनुसंधान और इसी तरह के अन्य केंद्र स्थापित कर सकते हैं, (3) विदेशी संकायों को अपने संसाधनों को किराए पर ले सकते हैं (4) असीमित रूप से विदेशी छात्रों को बिना

किसी प्रतिबंध के स्वीकार कर सकते हैं ताकि वे जितना चाहें उतना अधिक शुल्क ले सकते हैं। इस प्रकार वर्गीकृत स्वायत्तता का अर्थ होगा कि इन श्रेणियों के निजी और विदेशी कॉर्पोरेट एचईआईएस को अधिक से अधिक बाजार उन्मुख स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने और शुरू करने तथा भारतीय और विदेशी छात्रों से जिस हद तक वे चाहें, धन उगाहने की मंजूरी देने की शक्ति प्राप्त हो। यह न केवल उच्च शिक्षा का सार छीन लेता है बल्कि इसे अमीरों का विशेषाधिकार भी बना देता है। श्रेणी तृतीय के तहत 3,000 से कम छात्रों वाले अन्य एचईआइएस को विलय और यहां तक कि बंद होने के खतरे का सामना करना पड़ेगा।

भाग - 3

मेडिकल और हैल्थ केयर के संबंध में

एनईपी 2020 सेक्शन 20.5: "स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि संरचना और डिजाइन, स्नातकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अनुरूप हो सकें। प्राथमिक देखभाल और माध्यमिक अस्पतालों में काम करने के लिए मुख्य रूप से अच्छी तरह से परिभाषित मापदंडों पर छात्रों का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह देखते हुए कि हमारे लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुलतावादी विकल्पों का प्रयोग करते हैं। हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत होना चाहिए- जिसका अर्थ है कि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) की बुनियादी समझ होनी चाहिए। सभी प्रकार की हेल्थकेयर शिक्षा में निवारक स्वास्थ्य देखभाल (प्रिवेंटिव हेल्थकेयर) और सामुदायिक चिकित्सा (कम्यूनिटी मेडिसिन) पर अधिक जोर दिया जाएगा।"

वास्तविकता: मेडिकल और हैल्थ केयर के संबंध में - मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में 'आयुष' को शामिल करना केवल बाद में मुख्य धारा की पढ़ाई को कमजोर करेगा क्योंकि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की प्राचीन प्रणालियां आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक या दो प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक रूप से पर्याप्त शोध आधारित नहीं हैं, इसी तरह, ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद एमबीबीएस कोर्स में बीडीएस या नर्सिंग की प्रस्तावित लेटरल एंट्री भी एमबीबीएस कोर्स को कमजोर कर देगी। इसके अलावा, एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकारों से आग्रह करने के बजाय आयुष डॉक्टरों या सर्टिफिकेट कोर्स वाले लोगों की नियुक्ति भी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित करेगी। एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए प्रस्तावित एक या दो साल के फाउंडेशन कोर्स से छात्रों का खर्चा बढ़ जाएगा और सभी स्तरों के डॉक्टरों के बनने में देरी होगी। सभी स्तरों के शिक्षाविदों-चिकित्सा पेशे के छात्रों द्वारा एनएमसी गठन की तीखी आलोचना और विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए विनाशकारी

एनईईटी लागू किया गया है। इसके एग्जिट की भी सिफारिश की गई है जो बाद में डब्लूटीओ और गैट्स के निर्देशों का पालन करते हुए, कॉर्पोरेट दिग्गजों द्वारा आकर्षक व्यवसाय के लिए हमारी संपूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को विश्व स्तर पर बिकाऊ सामग्री बनाने के लिए एक धूर्तता पूर्ण डिजाइन के अलावा और कुछ नहीं है। परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। चिकित्सा शिक्षा के इच्छुक गरीब परिवारों के उम्मीदवारों के लिए नीट जैसी परीक्षाओं के पैटर्न और उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाना कठिन हो रहा है। वे आसानी से वंचित हो रहे हैं। इससे, उनमें उत्पन्न कुंठा उन्हें चरम मामलों में आत्महत्या तक ले जा रही है।

भाग - 4

कार्यान्वयन

एनईपी-2020 को अपनाना और लागू करना

एनईपी 2020 सेक्शन 25.1: ''इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विजन, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है जो कि न केवल शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श और समीक्षा के लिए एक फोरम प्रदान करता है बल्कि इसके कहीं अधिक वृहद उद्देश्य हैं। एक पुनर्कल्पित और पुनर्जीवित केब मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर सदृ शइकाइयों धनिकायों के साथ मिलकर देश में शिक्षा के विजन को लगातार अनवरत रूप से विकसित करने, सुस्पष्टता लाने, उसका आंकलन करने, और उसको संशोधित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसे ऐसी संस्थागत रूपरेखाओं को भी लगातार तैयार एवं उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए जो इस 'विजन' (vision) **को पाप्त करने में सहायक होंगी।''**

वास्तविकता: एनईपी 2020 की घोषणा और अनुमोदन केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लगाए गए देशव्यापी कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बीच किया गया था। इस लॉकडाउन के दौरान इस विशाल देश के लोगों, विशेष रूप से आम जनता को दुखद महामारी के कारण अपने जीवन और आजीविका के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूल-कॉलेज-विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद रहे। सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर चर्चा बहस-बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस दयनीय स्थिति का इस्तेमाल सरकार ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक आड़ के रूप में किया। इतना ही नहीं इसी आड़ का इस्तेमाल करते हुए इतनी महत्वपूर्ण नीति को संसद में विचार विमर्श के लिए रखे बिना कैबिनेट से पास करवा लिया। उसी आड़ में ऐसी महत्वपूर्ण नीति

को कैबिनेट ने बिना संसद में चर्चा के मंजूरी दे दी। इसकी चर्चा राज्य सरकारों से भी नहीं की गयी जबकि शिक्षा संवैधानिक रूप से समवर्ती सूची में है। अब सरकार नीति को लागू करने पर तुली हुई है। यह न केवल सभी केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों को इसे तेजी से लागू करने का निर्देश दे रहा है, बल्कि निकायों को नीति के पक्ष में अकादमिक समुदाय को समझाने की जिम्मेदारी भी सौंप रहा है, जो आरएसएस से जुड़े भारतीय शिक्षण मंडल, एनवाईए आदि संस्थान जो दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से नितांत पक्षपातपूर्ण हैं, कार्यान्वयन की इस प्रक्रिया में, वे कुछ ऐसी अवधारणाओं या उपायों को उजागर या रेखांकित कर रहे हैं, जिन्हें नीति दस्तावेज में कम महत्व दिया गया था। अब, जब उनकी व्याख्या की जा रही है तो देखा जा रहा है कि वे देश की शिक्षा प्रणाली के लिए निश्चित रूप से लगभग विनाशकारी है। आईकेएस, एबीसी स्कीम, ब्लेंडेड मोड आदि इसके उदाहरण हैं। लेकिन सरकार की चालाक चालों के बावजूद, अकादमिक समुदाय और शिक्षा प्रेमी लोगों की नजरों में ये सही नहीं है। वे अपना विरोध जता रहे हैं और इस विनाशकारी नीति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आक्रोश और विरोध की उठती आवाजों को देखते हुए, ''नीति के सफल कार्यान्वयन'' के नारे वाली नई नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) को मजबूत और सशक्त बनाने की सिफारिश कर रही है। इससे पहले मसौदा एनईपी ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (आरएसए) जैसे एक शीर्ष निकाय का प्रस्ताव दिया था, इसके अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होंगे। ।इसकी मंशा शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। देशव्यापी निंदा के सामने, आरएसए के विचार को हटा दिया गया था और इसके स्थान पर और अधिक लोगों को अपने पक्ष में करके सीएबीई को मजबूत और सशक्त किया गया है। यह सभी स्पष्ट रूप से शिक्षा पर पूरी तरह से नौकरशाही सरकारी नियंत्रण का प्रयोग करने की अनिष्ट कारी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है।

शिक्षा की फंडिंग

एनईपी 2020 सेक्शन 26.2: ''भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभों की प्रचुरता के कारण यह शिक्षा नीति केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6 प्रतिशत तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत के भावी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी उन्नति एवं विकास के लिए जरूरी, उच्चतर गुणवत्तापूर्ण एवं समतापूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा पर इतना निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।''

वास्तविकता: एनईपी 2020 में कहा गया है कि ''शिक्षा में सार्वजनिक निवेश''

निकट भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत (अब 0.44 प्रतिशत) तक पहुंच जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन शिक्षा के लिए केंद्रीय बजट आवंटन की कोई विशेष प्रतिबद्धता नहीं है। शिक्षाप्रेमी लोगों की दशकों पुरानी मांग थी कि केंद्रीय बजट में 10 प्रतिशत और राज्यों के बजट में 30 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया जाए, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। बजटीय आवंटन के ठोस शब्दों में बोलने के बजाय, नई नीति, शिक्षा पर पहले की नीतियों की तरह, सार्वजनिक निवेश और जीडीपी जैसे शब्दों का भी उपयोग करती है। वास्तव में, शिक्षा पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद में सरकारों के बजटीय आवंटन और निजी संस्थानों के निवेश दोनों शामिल हैं, जिसमें माता-पिता के अपने बच्चों को शिक्षित करने का खर्च भी शामिल है। लंबे समय से, हमने देखा है कि शिक्षा पर सरकारी धन कम खर्च हो रहा है जबकि निजी निवेश लाभ के मकसद से दिन-ब-दिन फल-फूल रहा है। कारण यह है कि सरकारें लोगों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी से मुकर रही हैं और निजीकरण को संरक्षण देने की वकालत कर रही हैं। यही कारण है कि नई नीति सार्वजनिक और निजी निवेश को समान घोषित करती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि किसने और किसलिए निवेश किया है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यह है कि सरकार शिक्षा के लिए धन आवंटित करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए यह निजी निवेशकों को शिक्षा के लिए फीस बढ़ाने की पूरी मनचाही आजादी देता है, और इस तरह से शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुंचाने की चाह रखता है। यह प्रवृत्ति 2021–22 के केंद्रीय बजट से स्पष्ट है। 2020 की तुलना में 2021 में शिक्षा पर बजट आवंटन 6.13 प्रतिशत (लगभग 6088 करोड़ रुपये) कम कर दिया गया है। हालाँकि नई नीति में स्कूली शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन इसी क्षेत्र में धन की कटौती जो कुल 4972 करोड़ है एक प्रमुख हिस्सा है, इस तरह की कमी से बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक भर्ती और सार्वभौमिक शिक्षा पर असर पड़ना तय है, जिससे शिक्षा का अधिकार एक तमाशा बन गया है। यह निश्चित तौर पर और अधिक निजी निवेश के लिए नए रास्ते खोलने जा रहा है, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का एक सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा जिसे एनईपी-2020 "जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है।"

एनईपी 2020 और भारत के इतिहास की विकृति

भारत के इतिहास को फिर से पूर्वकल्पित, विकृत तरीके से लिखने का प्रयास, एक और मुद्दा है जिसे नीति दस्तावेज में फिलहाल शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इसके कार्यान्वयन के दौरान इस मुद्दे ने काफी महत्व प्राप्त कर लिया है। यह प्रक्रिया दस्तावेज के आने से पहले की है। उदाहरण के लिए, 2018 में सत्ता पक्ष के एक प्रमुख प्रवक्ता ने घोषणा की थी कि, "... भारतीय इतिहास का असली रंग भगवा है और संस्कृति में कोई भी बदलाव लाने के लिए, हमें इतिहास को फिर से लिखना होगा।" तो आधार

वहीं स्थापित किया गया था। नीति के कार्यान्वयन ने इसे विस्तृत रूप दिया क्योंकि विकृत इतिहास को यूजीसी द्वारा एचईआई पर जोर देने वाले स्कूल पाठ्यपुस्तकों या इतिहास के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा घोषणाओं में प्रस्तुत किया गया था। विरूपण, जैसा कि पिछले उदाहरण में निम्नलिखित तरीकों से प्रकट हुआ।

एक, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों से ही भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है (5,500 से 3800 वर्ष बीसीई वर्तमान से), प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत मध्य युग में फलते-फूलते हुए, गुजरते हुए, इस समय के एक लंबे अंधेरे युग के प्रसार के बावजूद और अंत में दो-शताब्दी लंबे सांस्कृतिक आंदोलनों के माध्यम से भारत के आधुनिक राष्ट्र के रूप में इसमें आने वाले दिनों के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मानवतावादी, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ आंदोलन और सांस्कृतिक-शैक्षिक वैज्ञानिक आंदोलनों के चलते, स्वतंत्रता संग्राम के साथ, उभरते हुए राष्ट्र को आधुनिक वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर स्थापित किया गया। इतिहास को फिर से लिखते समय, इसके नवीनतम भाग को महत्वपूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। एनईपी 2020 में एक बार के लिए भी ''धर्मनिरपेक्ष'' शब्द का उल्लेख नहीं है। यह आधुनिक वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सबसे साहसी समर्थकों में से एक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि की तारीख पर घोषित किया जाता है, इस महान व्यक्ति के नाम का एक बार भी उल्लेख किए बिना। अतः भारतीय इतिहास को खंडित रूप में फिर से लिखा जा रहा है, यही पहला विकृतिकरण है। दूसरा, केवल प्राचीन काल से संबंधित होने की वजह से भारतीय परंपरा का गुनगान किया गया है और वह भी, भगवाकृत नजरिये के पहले से ही निर्धारित आधार पर। इस प्रकार से इतिहास रंगा गया यह है दूसरा विकृतिकरण। तीसरा, इस रंगे हुए सिद्धांत को आधार देने के लिए, तथाकथित इतिहास-निर्माता स्थापित वस्तुनिष्ठ तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए झूठे, अवैज्ञानिक, काल्पनिक दावों को अपनाते हैं। अन्य दावों में हड़प्पा सभ्यता के लिए एक मनगड़ंत युग (10000–12000 यहां तक कि 50000 वर्ष) का उल्लेख करना शामिल है (हाल की सहमति 5000–6000 वर्षों से आगे नहीं जाती है) यह वैदिक युग की स्वदेशी उत्पत्ति को साबित करने के लिए एक तथाकथित सिंधु-सरस्वती सभ्यता का निर्माण करना, हालांकि वैज्ञानिक अध्ययन हड़प्पा सभ्यता की प्राकृतिक मृत्यु और वैदिक युग के आगमन के बीच लगभग 1000 वर्षों के निश्चित अंतराल का संकेत देते हैं। यह स्थापित करने के लिए कि वैदिक युग के लोग स्वदेशी थे वे इस बात को नकारते हैं कि हड़प्पा और वैदिक लोगों और उनकी संस्कृति-आदतों-जीवन शैली आदि के बीच अलग-अलग मतभेदों के ठोस सबूत है। चौथा, मध्ययुग में आते हुए, इतिहास को सांप्रदायिक रंग-रूप देना सबसे उल्लेखनीय विकृति है। संपूर्ण मुगल काल जिसके दौरान जीवन के विभिन्न पहलुओं में शानदार विकास, जिसमें एक केंद्रीकृत प्रशासन की ओर एक कदम, समृद्ध सांस्कृतिक विकास भी शामिल था। इन सबको अनदेखा कर केवल बाबर को आक्रमणकारी के रूप में पेश करने

का प्रयास किया गया है। अकबर, जैसे सफल शानदार सम्राट, को अनदेखा करना, और ऐतिहासिक रूप से कम महत्वपूर्ण आंकड़ों का उल्लेख करना जिन्होंने मुगलों का विरोध किया था, जैसे शिबाजी को स्पष्ट रूप से हिंदू पुनरभ्युत्थान का नायक दिखाना (इतिहासकारों द्वारा विरोधी दावा), उन्हें औरंगजेब द्वारा सताया जाने के रूप में दिखाना। जबकि बाबर को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया गया है, बाद के दिनों के इतिहास में, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को आक्रमणकारियों के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है, हालांकि बक्सर और प्लासी के युद्धों का उल्लेख है। कारण स्पष्ट है, यदि कोई याद करे कि वर्तमान सत्तासीन पार्टी, उसके सहयोगी संगठन और उनके विचारक ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम को प्रतिक्रियावादी और हिंदू राष्ट्रवाद को ही वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद मानते हैं। पांच, सामाजिक विभाजनों को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के सहयोग से संदर्भित किया जाता है, हालांकि जातिवाद का खतरा वैदिक युग के अंत में उत्पन्न हुआ, मध्य युग के दिनों में पूर्ण रूप से हावी था और आज भी खतरनाक रूप से कायम है। छह, शब्दाडम्बरपूर्ण, इतिहास पाठ्यक्रम 'लोगों के योगदान' ईसा, बुद्ध, कार्ल मार्क्स जैसे इतिहास बनाने वाले पात्रों से संबंधित नहीं है, जो कि आम लोगों की समस्याओं के उन्मूलन व सपनों और आकांक्षाओं को आकार देते हैं। सात, इतिहास किसी राष्ट्र या समुदाय के लिए वही भूमिका निभाता है, जो भूमिका किसी व्यक्ति की स्मृति उसके जीवन में निभाती है। बिगड़ी हुई स्मृति वाला व्यक्ति सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर सकता है। यदि किसी राष्ट्र या समुदाय को शुरू में विकृत या गलत इतिहास परोसा जाता है, तो बाद में इससे भ्रम की स्थिति, यहां तक कि आपदा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इससे दुनिया के सामने देश का उपहास होता है। इतिहास के एक पूर्व-कल्पित व्यक्तिपरक संस्करण को सीखने वाले छात्र तर्कसंगत रुझान और दिमाग के वैज्ञानिक झुकाव को खो देंगे जो इस देश में पाए जाने वाले फासीवाद के आधार के रूप में काम कर सकते हैं। इतिहास के पुनर्लेखन का एजेंडा इन दोषों और संकेतों को समेटे हुए है ।

निष्कर्ष

एनईपी 2020 परम्परा की वकालत, विदेशी मॉडलों की नकल चिपकाने के साथ-साथ भोथरे विरोधाभासों से भरपूर है। एनईपी 2020 के इर्द-गिर्द कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। संक्षिप्तता के लिए, हम इस अंतिम अध्याय के साथ वर्तमान विचार-विमर्श को समाप्त करते हैं। यहां हम देश के शिक्षा-प्रेमी लोगों का ध्यान इस बहुप्रचारित एनईपी 2020 की एक बुनियादी विशेषता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें दो गंभीर विरोधाभासी दृष्टिकोणों और सिद्धांतों का समामेलन है।

एनईपी 2020 भारतीय विरासत, शिक्षा के भारतीयकरण, परम्परा, आदि की धुन पर और मंत्रियों सहित इसके समर्थक, सत्ताधारी सरकार के बड़े-बड़े लोग, आत्मानिर्भर भारत के लिए उस धुन पर नृत्य करते हैं और भारतीय ज्ञान प्रणाली द्वारा कायाकल्प करके

भारत को फिर से दुनिया का विश्वगुरु (नेता) बनाने की बात कहते हैं।

हम इसके बारे में 'भारत का प्राचीन ज्ञान' उपशीर्षक के तहत पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहां हम कुछ और प्रासंगिक बिंदु जोड़ना चाहेंगे। हमने उल्लेख किया है कि कोई भी ज्ञान जब प्राप्त होता है तभी से वह सार्वभौमिक हो जाता है और उसे राष्ट्रीय या अन्य सीमाओं के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था, समाज व राष्ट्र के लिए सार्थक होनी चाहिए और इसे किसी भी तरह के अंध महिमामंडन से दूर रहना चाहिए। प्राचीन अतीत का आत्म-महिमामंडन अंध विश्वास की ओर ले जाता है, जिससे कट्टर राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। उपमहाद्वीप के जिस हिस्से में हम रहते हैं, इसका बहुत लंबा इतिहास है। इसने अनगिनत उतार-चढ़ावों को पार किया है और स्वर्ण युग के साथ-साथ अंधेरे भी देखे हैं। इसलिए, हम दोहराते हैं, जब ज्ञान प्रणाली को विकसित करने की बात आती है, तो वह उचित, तर्कसंगत, साक्ष्य के आधार पर सही तरीके से प्रस्तुतीकरण होता है। प्रचलित सामाजिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रामाणिक स्रोतों के संदर्भ के साथ इसके अलावा, मानव समाज के योगदान को क्षेत्र, भाषा, राज्य और देश की सीमाओं तक सीमित करने की कोशिश किए बिना, समग्र रूप से उसकी सराहना करना आवश्यक है। लेकिन यह एक ऐसा हिस्सा है जहां एनईपी 2020 कायाकल्प के संकल्प के साथ दूसरे रास्ते पर जाना पसंद करती है और ''हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नए प्रयोग करती है'' (परिचय, एनईपी 2020, पृष्ठ 5), और इसके प्रस्तावक भारतीय ज्ञान प्रणाली को ''एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति'' कहते हैं (इस नीति का विजन, एनईपी 2020, पृष्ठ 6)। दिलचस्प बात यह है कि जब एनईपी 2020 को लागू करने का सवाल आता है, तो हम पाते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जल्दबाजी में चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भारतीय छात्रों को 'वास्तव में वैश्विक नागरिक' (पृष्ठ 6) बनाने की दृष्टि से, 'विघटनकारी प्रौद्योगिकियों' पर प्रचार जैसी अवधारणाओं और विधियों को पेश करने व बढ़ावा देने का एक पूरा प्रयास है (धारा 23.7, 8, 9, 10 पृष्ठ 58–59)। शिक्षा में, मिश्रित मोड, ओडीएल या ओपन एंड डिस्टैंट या वर्चुअल मोड, सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित अंतः विषय पाठ्यक्रमों के स्थान पर बहु-विषयक पाठ्यक्रम, 4-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, बहु-मोडल दृष्टिकोण, एबीसी योजना, ए ला कार्टे (मेनू कार्ड) सीबीसीएस सेमेस्टर प्रणाली आदि के मॉडल हैं, जिनमें से कई पश्चिमी दुनिया के देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की वास्तव में विफल प्रणाली हैं। यूजीसी, सरकार और उसकी सहायक कंपनियां केवल कॉपी-पेस्ट कर रही हैं, जो डिजिटल तकनीक में एक आम अभ्यास है। इस कॉपी-पेस्ट अभ्यास में भारतीयकरण या भारतीय ज्ञान प्रणाली कहाँ खड़ी है? किसी भी देश की शिक्षा नीति को आलोचनात्मक रूप से देखने वाले को नीति-निर्माताओं के सामने यह प्रश्न रखना चाहिए, क्योंकि यह उनकी मंशा और ईमानदारी को दुखद रूप से दर्शाता है।